पांचवीं वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण

2020-21

कौशिकी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

कौशिकी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(CIN-U01100BR2017PTC035807)

(कंपनी अधिनियम,1956 के भाग IXA के प्रावधानों के अन्तर्गत निगमित)

कौशिकी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

मूल्य (Values):

- संस्था का हित सर्वोपरि
- ईमानदारी एवं पारदर्शिता
- वचनबद्धता
- जागरूकता एवं ज़िम्मेदारी
- गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता हर स्तर पर
- नवविचार
- टीम भावना

ध्येय (Mission):

- कौशिकी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी अपनी सभी सदस्याओं से गुणवत्ता युक्त दूध का नियमित संकलन उचित मूल्य पर करेगी एवं अपने क्षेत्र में दूध उत्पादन वृद्धि हेतू पशु नस्ल सुधार और तकनीकि सुविधाएँ उपलब्ध कराएगी । कंपनी सदस्याओं के दूध व्यवसाय से अर्जित आमदनी में वृद्धि के लिए बचनबद्ध है ।

दीर्घदृष्टि (Vision):

- कौशिकी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी देश की दूध व्यवसाय से जुड़ी प्रमुख महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियों में से एक होगी और अपने कार्यक्षेत्र की दूध उत्पादक महिलाओं की पहली पसंद होगी एवं दूध और दूध उत्पाद की उच्च गुणवत्ता के लिए जानी जाएगी ।

निदेशक मंडल

श्रीमती मीरा देवी	**(DIN- 07904299)**	-	निदेशक
श्रीमती ममता चौपाल	**(DIN- 07904272)**	-	निदेशक
श्रीमती पूनम कुमारी	**(DIN- 07904325)**	-	निदेशक
श्रीमती रंजू कुमारी	**(DIN- 07904330)**	-	निदेशक
श्रीमती कोमल कुमारी	**(DIN- 08730884)**	-	निदेशक
श्रीमती प्रीती कुमारी	**(DIN- 08730846)**	-	निदेशक
श्रीमती रंजू कुमारी	**(DIN- 08841324)**	-	निदेशक एवं अध्यक्षा
श्री श्रीराम सिंह	**(DIN- 06895219)**	-	विशेषज्ञ निदेशक
श्री हीरक घोष	**(DIN- 09228855)**	-	विशेषज्ञ निदेशक
श्री संदीप कुमार यादव	**(DIN- 08614881)**	-	निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

कंपनी सचिव

श्री प्रेमशंकर चौधरी

वैधानिक लेखा अंकेक्षक

एस.बी. बिलिमोरिया एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(पंजीयन संख्या **101496W**)
गुरुग्राम

आंतरिक लेखा अंकेक्षक

रे एंड रे
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(पंजीयन संख्या **301072E**)
मुंबई

बैंकर्स

एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड,पूरब बाज़ार,सहरसा
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,पूरब बाज़ार, सहरसा

रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट

लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि.
प्रथम मंजिल नोबल हाईट
सी-**1** ब्लॉक,जनकपुरी,
नई दिल्ली-**110058**

रजिस्टर्ड ऑफिस: वार्ड संख्या 31, हटिया गाछी , एनएच-107, सहरसा , बिहार -852201
दूरभाष:-**+918252911011**, ईमेल(**Email**):**-enquiry@kaushikeemilk.com,**
वेबसाइट(**website**):-**www.kaushikeemilk.com**

<u>कौशिकी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड</u>

<u>कौशिकी महिला दुग्ध उत्पादक कंपनी लिमिटेड (Kaushikee Mahila Milk Producer Company limited)</u>

<u>सदस्यों के लिए निदेशकों की रिपोर्ट (Directors' Report to the Shareholders)</u>

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष लिए कंपनी व्यवसाय और संचालन संबंधी अंकेक्षित खाते पाँचवीं वार्षिक प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही हैं।

कंपनी का निगमन कंपनी अधिनियम,1956 के भाग **IXA** (वर्तमान में कंपनी अधिनियम **2013** का भाग **XXIA**) के प्रावधानों के तहत एक उत्पादक कंपनी के रूप में 22 सितम्बर, 2017 को बिहार राज्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का प्राथमिक तौर पर इसके सदस्यों से संग्रहण, क्रय तथा प्रसंस्करण करने एवं उनके विपणन तथा उनसे संबंधित सभी प्रकार की क्रियाओं हेतु किया गया था।

1. वित्तीय परिणाम (Financial Results):-

संक्षिप्त में कंपनी के वित्तीय परिणाम निम्न प्रकार से हैं**:**

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए (₹)	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए (₹)
संचालन से राजस्व	26,23,68,392	16,54,45,608
अन्य आय	5,36,064	21,17,149
कुल आय	26,29,04,456	16,75,62,757
सामग्री लागत सहित व्यय	25,50,22,479	15,49,67,227
पूर्व अवधि समायोजन और आयकर पूर्व लाभ	82,30,273	1,25,95,530
पूर्व अवधि समायोजन – आय	-	-
आयकर से पहले की अवधि के लिए लाभ/(हानि)	82,30,273	1,25,95,530
आयकर के लिए प्रावधान	14,77,939	22,10,405
आस्थगित आयकर आस्तियां/दायित्व	(3,00,690)	(6,48,096)
आयकर के बाद की अवधि के लिए लाभ/(हानि)	70,53,024	1,10,33,221

2. कंपनी के मामलों का स्थिति (State of Company's Affairs):-

समीक्षा वर्ष के दौरान, कंपनी का परिचालनों से कुल राजस्व ₹ 1,676 लाख से बढ़कर ₹ 2,629 लाख हो गया है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 56.86 % की वृद्धि दर्ज हुई है और कुल खर्च ₹ **1,550** लाख से बढ़कर ₹ 2,547 लाख हुआ है जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में **64.32 %** वृद्धि दर्ज हुई है ।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी की लाभ(आयकर पश्चात) ₹ 71/- लाख (लगभग) हुई है।

3. सीमित रिटर्न (लाभांश) Limited Return (Dividend):-

निदेशक मंडल वित्तीय वर्ष **2020-21** के दौरान लाभांश के रूप में भुगतान की जाने वाली किसी भी राशि का प्रस्ताव नहीं करता है ।

4. सामान्य संचय में स्थानांतरण (Transfer to General Reserve):-

कंपनी के अनुच्छेद 11.10 के अनुच्छेद संख्या 11.10 के प्रावधानों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378Z1 के साथ पढ़े जाने के अनुसार, निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ₹ **71**/- लाख (आयकर पश्चात लगभग) की राशि को आर्थिक चिट्ठा में सामान्य संचय में हस्तांतरण करना प्रस्तावित है।

5. संचालन की समीक्षा (Review of Operations):-

i) दुग्ध उपार्जन (Milk Procurement):-

कंपनी ने 11 अक्टूबर 2018 को अपना परिचालन शुरू किया था और 31 मार्च 2021 तक 570 एमपीपी का संचालन कर रही है।

कंपनी का दूध उपार्जन कार्य कोशी प्रमंडल के तीन जिलों सहरसा, सुपौल और मधेपुरा में फैला हूआ है । उपर्युक्त जिलों के अंतर्गत, कंपनी ने 31 मार्च 2021 तक विभिन्न स्थानों जैसे सरोजा, सोनबरसा, सत्तरकटैया, पतरघट, सिंहेश्वर, त्रिवेणीगंज, निर्मली, हरिहरपुर, कुमारखंड, आलमनगर, बिहारीगंज में 11 बीएमसी (बल्क मिल्क कूलर) स्थापित किए हैं।

वित्तीय वर्ष **2020-21** के दौरान, कंपनी ने कच्चे दूध के औसतन **17,534 किलोग्राम प्रतिदिन** (कुल मात्रा: **63,99,935.15 किलोग्राम)** की उपार्जन की है।

इस रिपोर्ट की तारीख तक, कंपनी ने 200 अतिरिक्त एमपीपी स्थापित करने के लक्ष्य के साथ खगड़िया जिले में दूध उपार्जन गतिविधि भी शुरू कर दिया है तथा परबत्ता, अलौली और मलपा चौथम में तीन और बीएमसी (बल्क मिल्क कूलर) भी शुरू की है ।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष **2020-21** के दौरान ,सदस्यों के बैंक खातों में दूध भुगतान के रूप में लगभग ₹ **21.77** करोड़ का भुगतान किया है।

कंपनी अपने सदस्यों को, उनके द्वारा आपूर्ति की जा रही दूध के लिए प्रतिस्पर्धी और लाभकारी मूल्य का भुगतान करती है । कंपनी लगातार आपनी क्षमता बढ़ाकर और लॉजिस्टिक्स लागत को कम कर, बेहतर पर्यवेक्षण, गुणवत्ता जांच और बेहतर लॉजिस्टिक्स नियंत्रण आदि जैसे के लागत में कमी के उपाय करके अपने सदस्यों से दूध उपार्जन को अधिकतम करने के लिए प्रयास कर रही है ।.

ii) उत्पाद संविभाग (Products Portfolio):-

क) पशु चारा (Cattle Feed)

कंपनी ने वित्तीय वर्ष **2020-21** के दौरान **"कौशिकी गोल्ड"** के अपने ब्रांड के तहत **346.54 मीट्रिक टन** पशु चारा बेचा है। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग **371.98** प्रतिशत ज्यादा हुई है।

ख) खनिज मिश्रण (Mineral Mixture)

कंपनी ने अपने ब्रांड नाम के तहत खनिज मिश्रण को **"कौशिकी मिन"** के रूप में विकसित किया है, जो संचालन के क्षेत्र में उपलब्ध चारे, जलवायु और खिलाने की आदतों को ध्यान में रखते हुए और दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन और प्रजनन में सुधार के लिए उत्पादकों को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है । वितीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी ने लगभग **22.80 मीट्रिक टन** खनिज मिश्रण बेचा है जोकि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग **285.14 प्रतिशत** ज्यादा है।

iii) उत्पादक संस्था विकास (Producer Institution Building):-

पीआईबी विभाग अपने बेहतर प्रशासन और सदस्य केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से व्यापार को मजबूत करता है। पीआईबी विभाग अपने प्रयासों को सक्रिय सदस्यता बढ़ाने के लिए निर्देशित करता है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी की अर्थव्यवस्थाएं वृहत पैमाने पर बेहतर होती है।

iv) कृत्रिम गर्भधान कार्यक्रम (Artificial Insemination Program):-

कंपनी ने दुधारू पशुओं की उत्पादकता में सुधार, दुग्ध उत्पादन की लागत को कम करने और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, किसानों के दरवाजे पर प्रशिक्षित योग्य मोबाइल कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों के माध्यम से शीर्ष आनुवंशिकी का उपयोग करके,गुणवत्तापूर्ण एआई सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से एआई सेवाओं को लागू किया है ।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कौशिकी ने किसानों को उनके दरवाजे पर गुणवत्तापूर्ण एआई सेवा प्रदान की है। प्रजनन सेवा के लिए कुशल निगरानी और क्षेत्र विस्तार सहायता को सुगम बनाने के लिए, मोबाइल कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन पूरे कौशिकी परिचालन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इसके अलावा, कंपनी ने पीईएस गतिविधियों के क्षेत्र में सेवाओं और समर्थन को बढ़ाने के लिए कई योग्य पशु चिकित्सकों को नियोजित किया है

समीक्षा वर्ष के दौरान, कंपनी ने **38,775** कृत्रिम गर्भाधान अपने **36 MAIT(मैट्स)** के द्वारा किए है |

v) गुणवत्ता पहल (Quality Initiative):-

उपयोग में आने वाले बल्क मिल्क कूलर (बीएमसी) कच्चे दूध की गुणवत्ता परीक्षण के लिए बुनियादी परीक्षण सुविधाओं और उपकरणों से अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। कंपनी के संचालन में उच्च गुणवत्ता के स्तर को सुनिश्चित करने और बनाए रखने की दिशा में, कंपनी ने स्वच्छता पर जोर देने के साथ सभी संबंधितों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया है जो सीधे दूध की गुणवत्ता से जुड़े हुए हैं।

vi) एमपीसी कोर डिजाइन सिद्धांत (MPC's Core Design Principles):-

कंपनी ने कोर डिजाइन सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया गया है। व्यापार सौदे केवल सदस्यों के साथ ही सीमित रखे गए हैं । सक्रिय सदस्यता और व्यापार तथा शासन में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया है। अधिकांश सक्रिय सदस्यों ने वर्ष के दौरान न्यूनतम शेयर पूंजी योगदान प्रदान किया है। सदस्यों और कंपनी के बीच दोतरफा संचार सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर मिलने वाले ग्राम स्तर पर अनौपचारिक समूहों के गठन के माध्यम से सदस्य संचार और शिकायत निवारण के लिए उपयुक्त तंत्र शुरू किया जा रहा है। कर्मचारियों को व्यवसायिक संचालन को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए व्यवहारिक और प्रेरक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है और जल्द से जल्द व्यवहार्यता और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पैमाने की अर्थव्यवस्था को प्राप्त किया जाता है।

6. वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद भौतिक परिवर्तन(Material Changes After Closure Of Financial Year):-

31 मार्च, 2021 के बाद कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हुई हैं। नियामकों और अदालतों द्वारा पारित कोई महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश नहीं हैं जो कंपनी की चल रही स्थिति और उसके भविष्य के संचालन को प्रभावित करें|

7. व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन (Change In Nature Of Business):-

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

8. निदेशक मण्डल (Board Of Directors):-

समीक्षित वर्ष के दौरान श्री ब्रजेश नारायण सिंह को विशेषज्ञ निदेशक के रूप में 24 नवंबर 2020 से दो साल के लिए नियुक्त किया गया था। 1 अप्रैल 2021 को किसी व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है,बोर्ड उन्हें उनकी सेवाओं के लिए उनका धन्यवाद करता है |

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 378P एवं अन्य प्रासंगिक लेखों तथा कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लागू अनुच्छेद 9.6 के अनुसार श्री श्रीराम सिंह को 7 अप्रैल 2021 और श्री हिरक घोष को 6 जुलाई 2021 से दो वर्षों के लिए कंपनी के विशेषज्ञ निदेशक के रूप नियुक्त किया गया था।

श्रीमती ममता चौपाल (डी आई एन:07904272) और श्रीमती रंजू कुमारी (डी आई एन: **07904330**) आगामी आम बैठक में सेवानिवृत्त हो रही हैं।

श्रीमती ममता चौपाल (डी आई एन: 07904272) और श्रीमती रंजू कुमारी(डी आई एन: **07904330**) को फिर से नियुक्ति के लिए अयोग्य पाया गया है जिसके परिणामस्वरूप श्रीमती रूबी कुमारी (फोलियो संख्या 0002660) एवं श्रीमती सीमा कुमारी (फोलियो संख्या 0010402) को, निदेशक पहचान संख्या प्राप्त की तिथि से, निदेशक नियुक्त की जाती है , जिनके कार्यालय की अवधि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी । बोर्ड उन्हें कंपनी के साथ निदेशक के रूप में कार्य करने और समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं।

9. बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण (Training Of Board Members):-

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निदेशकों ने दुग्ध व्यवसाय में वित्त के क्षेत्र के कौशल विकास कार्यक्रम में भाग लिया है जिसमें उन्होंने वित्तीय स्थिति और लाभ और हानि विवरणों के मापदंडों के बारे में सीखा है । इससे कंपनी के कामकाज के बारे में उनकी जागरूकता बढ़ी है जिससे वे अधिक कुलश तरीके से अपनी नेतृत्व भूमिका निभा सकते हैं ।

10. सदस्यता/मताधिकार/शेयर पूंजी (Membership/Voting Rights/Share Capital):-

31 मार्च, 2021 तक जमा शेयर पूंजी ₹ 1,10,62,500 थी, और कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर पर 23,486 सदस्य शामिल थे। समीक्षाधीन अवधि के दौरान सदस्यता मानदंडों और अन्य कारणों से 1,405 सदस्यों की सदस्यता रद्द/आत्मसमर्पण कर दिया गया है।

31 मार्च, 2021 के बाद कंपनी ने 5,931 नए सदस्यों का नामांकन किया है और सदस्यता मानदंडों और अन्य कारणों को पूर्ति न करने के कारण 1,298 सदस्यों की सदस्यता रद्द/आत्मसमर्पण कर दी गई है। इसलिए, इस रिपोर्ट की तारीख के रूप में सदस्यों की कुल संख्या 28,119 सदस्यों और भुगतान किए गए शेयर पूंजी राशि ₹15,681,900 है।

i) एजीएम में मतदान का अधिकार और उपस्थिति (Voting Rights and attendance at AGM)

कुल 23,486 सदस्यों में से 1,450 सदस्य, जिन्होंने मतदान के लिए लागू शर्तों को पूरा किया है, (पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम 500 लीटर कुल कम से कम 200 दिनों के लिए दूध डालना) परिणामस्वरूप 2020-2021 के दौरान उन्हें वार्षिक सामान्य बैठक में नोटिस में निर्धारित सभी संकल्पों पर मताधिकार है। इसके अलावा, 22,036 सदस्य, जिन्होंने मतदान के लिए उपरोक्त शर्त को पूरा नहीं किया है, ने वार्षिक आम बैठक में अपना मतदान अधिकार खो दिया है और 1298 सदस्य जिनकी सदस्यता 31 मार्च 2021 के बाद रद्द कर दी गई है, वे आगामी वार्षिक आम सभा (एजीएम) में भाग लेने के हकदार नहीं हैं।

और 5931 नए सदस्य, जिन्हें 31 मार्च, 2021 के बाद कंपनी के सदस्य के रूप में भर्ती किया गया था, 5वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) में मतदान के अधिकार के लिए हकदार नहीं होंगे ।

11. निदेशकों की जिम्मेदारी का बयान (Directors' Responsibility Statements):-

कंपनी अधिनियम, 2013 (**'अधिनियम'**) की धारा 134 के तहत निदेशक इस बात की पुष्टि करते हैं कि:

a) वार्षिक खातों की तैयारी में, कंपनी द्वारा लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है;

b) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की स्थिति और उस तारीख को समाप्त हुई अवधि के लिए कंपनी के लाभ का सही और उचित दृष्टिकोण दिया जा सके।

c) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है ।;

d) निदेशकों ने वार्षिक खातों को लाभकारी व्यापार के आधार पर की है ; तथा

e) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की थीं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थीं ।

12. बोर्ड की बैठकें (Board Meetings):-

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के प्रावधानों और वहां बनाए गए नियमों के अनुसार, प्रत्येक कंपनी को हर साल अपने निदेशक मंडल की न्यूनतम चार बैठक इस तरह से आयोजित करेगी कि बोर्ड की लगातार दो बैठकों के बीच एक सो बीस दिन से अधिक अंतर न हो।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान , 27 मई, 2020, 18 सितंबर, 2020, 24 नवंबर, 2020 और 23 मार्च, 2021 को चार (4)बोर्ड की बैठकें हुईं है।

पिछली वार्षिक आम बैठक 19 दिसंबर,2020 को आयोजित की गई थी।

वर्ष के दौरान, आम सभा और बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति नीचे दी जाती है:

क्रम	निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान बैठकों की संख्या	उपस्थिति	पिछले आमसभा में उपस्थिति
1	श्रीमती मीरा देवी	4	4	हाँ
2	श्रीमती ममता चौपाल	4	4	हाँ
3	श्रीमती पूनम कुमारी	4	2	ना
4	श्रीमती रंजू कुमारी	4	2	हाँ
5	श्रीमती अनीता देवी	1	0	NA
6	श्रीमती कोमल कुमारी	4	3	हाँ
7	श्रीमती प्रीति कुमारी	4	2	हाँ
8	श्रीमती रंजू कुमारी	3	3	हाँ
9	श्री संदीप कुमार यादव	4	4	हाँ
10	श्री ब्रजेश नरायण सिंह	2	2	हाँ

13. आम बैठक (General Meetings):-

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों का विवरण इस प्रकार है:

क्रम	मीटिंग संख्या	बैठक की तिथि	आम सभा का स्थान
1	दूसरी आम सभा	29.09.2018	होटल विजेया, सहरसा, बिहार-852201
2	तीसरी आमसभा	30.09.2019	संत लक्ष्मीनाथ गोसाईं, कला भवन, सुपर मार्केट, सहरसा, बिहार-852201
3	चौथी आम सभा	19.12.2020	प्रतीक्षा गार्डन, हटिया गाछी, एन एच 107, सहरसा, बिहार-852201

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कोई असाधारण आम बैठक (ईजीएम) आयोजित नहीं की गई|

14. ऋण,गारंटी औरनिवेश का विवरण (Particulars Of Loans, Guarantees & Investments):-

कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कोई ऋण, गारंटी और निवेश नहीं किया है।

15. संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्थाओं का विवरण (Particulars Of Contracts or Arrangements with related parties):-

संबंधित पक्षों के साथ सभी अनुबंध या व्यवस्था आर्म लेन्थ प्राइस के आधार पर की जाती है। अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने वाले नोट्स पर दिखाई देता है।

16. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली (Internal Control Systems):-

कंपनी के पास उचित और पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी परिसंपत्तियों की रक्षा और सुरक्षा की जाए और लेन-देन को अधिकृत, रिकॉर्ड और रिपोर्ट किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZF के अनुसार, मेसर्स रे एंड रे,चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है जो स्वतंत्र रूप से आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता का मूल्यांकन करते हैं,और कंपनी के खातों का आंतरिक लेखा अंकेक्षण करते है।

17. सांविधिक लेखा परीक्षक (Statutory Auditors):-

कंपनी के मौजूदा सांविधिक लेखा परीक्षक मेसर्स बिलिमोरिया एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, गुरुग्राम, (फर्म पंजीकरण संख्या 101496W), जिन्हें 19.12.2020 को आयोजित अंतिम आम सभा (एजीएम) में एक वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम बैठक में रिटायर हुए हैं, ने आगामी वार्षिक आम बैठक में पुनर्नियुक्ति के लिए अनिच्छा जताई है ।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के निदेशक मंडल ने सदस्यों को उनके अनुमोदन के लिए, कंपनी के निदेशक मंडल ने सेवानिवृत्त लेखा परीक्षकों के स्थान ,सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में मेसर्स एस एन धवन एल एल पी , चार्टर्ड अकाउंटेंट, गुरुग्राम (फर्म पंजीकरण संख्या 000050N/N500045)को नियुक्त किया है । मेसर्स एस एन धवन एल एल पी , चार्टर्ड अकाउंटेंट, गुरुग्राम (फर्म पंजीकरण संख्या 000050N/N500045) ने , यदि नियुक्त किया जाता है, तो कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है | उनकी नियुक्ति इस वार्षिक आम बैठक के समापन से 10वीं वार्षिक आम बैठक के समापन तक के लिए होगी ।

18. वार्षिक रिटर्न के उद्धरण (Extracts of Annual Return):-

कंपनी के वार्षिक रिटर्न के उद्धरण में सम्मिलित विवरण कंपनी के वेबसाईट **www.kaushikeemilk.com** पर उपलब्ध है |

19. मानव संसाधन (Human Resource):-

लोग हमारी संपत्ति हैं और कंपनी के प्रदर्शन को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनके जुनून, प्रतिबद्धता, स्वामित्व की भावना और टीम वर्क ने कंपनी को विकास हासिल करने में सक्षम बनाया है । कंपनी हमेशा एक सकारात्मक, सहायक, खुली और उच्च प्रदर्शन कार्य संस्कृति और पर्यावरण की पेशकश करने के लिए प्रयासरत है जहां नवीनीकरण और अच्छे प्रदर्शन को प्रोत्साहित किया जाता है, और उनको मान्यता दी जाती है और कर्मचारियों को अपनी वास्तविक क्षमता को साकार करने के लिए प्रेरित किया जाता है ।

कंपनी के दीर्घकालिक विकास को बनाए रखने के लिए, संगठन के सभी स्तरों में कंपनी के ध्येय,दीर्घदृष्टि और मूल्यों का सही अक्षरों और भावना से पालन किया जा रहा है।

20. सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology):-

सूचना प्रौद्योगिकियां कंपनी के विभिन्न कार्यों को सहायता प्रदान करती हैं और संचालन को सुव्यवस्थित और वास्तविक समय के आधार पर बनाने में मदद करती हैं । आईटी का मुख्य फोकस, संचालन के दक्षता में सुधार के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियां सहायता प्रदान करना, उन्हें सही निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाना एवं विश्लेषण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे के सेटअप का निर्माण करना जिससे कि राजस्व में वृद्धि हो और सभी परिचालन डेटा, किसान भुगतान, डेटा-रिपोर्ट सही समय पर हो । हमारी कंपनी में आईटी हस्तक्षेप, सिस्टम को सुव्यवस्थित और ऑनलाइन बना रहे हैं।

21. सुरक्षा और स्वास्थ्य (Safety and Health):-

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल प्रदान करती है। यहाँ हमेशा कर्मचारियों की स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, विशेषकर उन कर्मियों का जो शारीरिक रूप से दूध उपार्जन में समल्लित हैं |

22. कर्मचारियों का विवरण (Particulars Of Employees):-

रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान, कंपनी के किसी भी कर्मचारी को कंपनी अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा के बराबर या उससे अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ था।

23. केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य धोखाधड़ी के अतिरिक्त धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के संबंध में विवरण (Details in Respect of Frauds Reported by Auditors Under Sub-Section (12) of Section 143 other than those which are reportable to the Central Government): -

केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य धोखाधड़ी के अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा12 के तहत कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा कोई धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई थी ।

24. जोखिम प्रबंधन नीति (Risk Management Policy):-

मेसर्स रे एंड रे, आंतरिक लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट में विभिन्न मुद्दों पर अपना जोखिम आकलन देते हैं और इन रिपोर्टों को समय-समय पर बोर्ड की बैठकों में प्रस्तुत और चर्चा की जाती है ।

आपकी कंपनी के पास किसी भी जोखिम की पहचान और उसे कम करने के लिए जोखिम प्रबंधन नीति है जिससे कंपनी के अस्तित्व को खतरा हो सकता है ।

आपकी कंपनी ने मानकों, प्रक्रियाओं और संरचना का एक सेट निर्धारित किया है जो इसे पूरे संगठन में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को लागू करने में सक्षम बनाता है।

जोखिम प्रबंधन नीति की सामग्री कंपनी की वेबसाइट (**www.kaushikeemilk.com**) पर उपलब्ध है |

25. जमा (Deposits):-

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, हमने कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी द्वारा जमा की स्वीकृति नियम, 2014 के साथ पठित, के तहत निर्धारित सीमा से अधिक किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है।

26. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility(CSR):-

कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी(CSR) के संबंध में कंपनी एक्ट, 2013 की धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं |

27. लागत लेखा परीक्षा और रिकॉर्ड (Cost Audit and Records):-

कॉस्ट ऑडिट और कॉस्ट रिकॉड्र्स के रखरखाव के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

28. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, 2016(Insolvency and Bankruptcy Code,2016):-

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के तहत कोई आवेदन नहीं किया गया है या कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

29. सचेतक तंत्र (Vigil Mechanism):-

सचेतक तंत्र के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

30. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन के तहत प्रकटीकरण (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, (Disclosure Under Sexual Harassment of Women at the workplace(Prevention, Prohibition & Redressal) Act,2013:-

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और वहां बनाए गए नियमों की आवश्यकता के अनुसार, कंपनी ने एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। वर्ष के दौरान, कंपनी को यौन उत्पीड़न के आरोप के साथ कोई शिकायत नहीं मिली है |

31. ऊर्जा संरक्षण, अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी, तकनीकी समावेशन और विदेशी मुद्रा आय और व्यय(Conservation Of Energy, Research and Development ,Technology absorption, Foreign Exchange and Out Go:-

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(1)(e) तथा कंपनियों (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरण का प्रकटन) नियम, 1988 के अनुसार प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण:

क) ऊर्जा और प्रौद्योगिकी अवशोषण के संरक्षण से संबंधित नियमों का भाग क और ख वर्तमान में कंपनी पर लागू नहीं है।

ख) विदेशी मुद्रा आय और व्यय: आय - शून्य; व्यय – शून्य ।

32. **अभि स्वीकृति (Acknowledgement):-**

निदेशक मंडल समीक्षाधीन अवधि के दौरान सदस्यों, व्यावसायिक सहयोगियों को उनके समर्थन और योगदान के लिए उनकी सराहना देना चाहता है कंपनी को निरंतर समर्थन के लिए आंतरिक और सांविधिक दोनों लेखा परीक्षकों को निदेशक मंडल धन्यवाद देना चाहते हैं ।

निदेशक मंडल एनडीडीबी डेयरी सेवा, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (जीविका) बिहार और मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिए गए प्रोत्साहन और समर्थन को कृतज्ञता से स्वीकार करता है ।

बोर्ड सभी कर्मचारियों और सभी संबंधित व्यक्तियों के समर्पण, कड़ी मेहनत, उत्साही सहयोग के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करता है जिसके बिना कंपनी के लिए यह बहुमुखी प्रगति और विकास को प्राप्त करना संभव नहीं होता।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : सहरसा

तिथि : 25.10.2021

(ह/-)

श्रीमती रंजू कुमारी

निदेशक एवं अध्यक्षा

(डीआईएन: 08841324)

<u>स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट</u>

कौशिकी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों के लिए
वित्तीय विवरणों पर अंकेक्षकों की रिपोर्ट (Auditors' Report)

राय(Opinion)

हमने कौशिकी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड "**(कंपनी)**" के वित्तीय विवरण की अंकेक्षक स्वतंत्ररूप से की है, जिसमें 31 मार्च, 2021को समाप्त वर्ष के लिए आर्थिक चिठ्ठा, लाभ एवं हानि तथा साल के लिए रोकड़ प्रवाह का विवरण और संक्षिप्त महत्त्पूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक जानकारी है।

हमारी राय में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लाभ एवं नकद प्रवाह का विवरण, हमें दी गई जानकारी के आधार पर, कंपनी अधिनियम, **2013** "**(अधिनियम)**" के तहत सभी ज़रूरी जानकारी देता है तथा कंपनी अधिनियम की धारा 133 एवं भारत में स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धान्तों के तहत लेखांकन मानकों के अनुरूप पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

राय के आधार (Basis of Opinion)

हमने अधिनियम **(SAs)** की धारा (10) 143 के तहत निर्दिष्ट मानकों के अनुसार वित्तीय वक्तव्य का लेखापरीक्षण किया है। इन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों का विवरण हमारी रिपोर्ट के नोट्स में ,वित्तीय विवरण के लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के जिम्मेदारियों मे के रूप मे किया गया है। हम भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) के द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत स्वतंत्ररूप से वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के संदर्भ में इन आवश्यकताओं और आईसीएआई (ICAI) की आचार संहिता के अनुरूप अपनी नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा के प्रमाण पर्याप्त हैं और वित्तीय वक्तव्य पर हमारी लेखापरीक्षा राय के आधार के लिए उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त सुचना और उस पर अंकेक्षकों की रिपोर्ट :-

- कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में निदेशक की रिपोर्ट शामिल है, किंतु इसमें वित्तीय वक्तव्य और हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।
- वित्तीय वक्तव्य पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती और हम किसी भी रूप में आश्वासन निष्कर्ष की अभिव्यक्ति नहीं करते हैं।
- हमारे वित्तीय वक्तव्य की लेखापरीक्षा के संदर्भ में, अन्य जानकारी को पढ़ना हमारी ज़िम्मेदोरी है और ऐसा करने में हम यह विचार करते हैं कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय वक्तव्य या लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा प्राप्त की गई जानकारी के लिए भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।
- इस काम के आधार पर अगर हमने निष्कर्ष निकाला है कि यह जानकारी अन्य जानकारी से अलग है, तो हमें वास्तविक तथ्यों को रिपोर्ट करना होगा। हमारे पास इसस संदर्भ में रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व :-

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के संदर्भ में धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए ज़िम्मेदार है, जो भारत में स्वीकृत लेखांकन मानकों एवं अन्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकद प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इस ज़िम्मदेारी में कंपनी की संपत्ति को सुरक्षित रखने, इसे किसी तरह की धोखाधड़ी या अनियमितताओं से बचाने; उचित लेखांकन नीतियों के चुनाव एवं इन्हें लागू करने; उचित फैसला लेने और तर्कसंगत अनुमान लगाने, भीतरी वित्तीय नियन्त्रण के रखरखाव के लिए प्रावधान के अनुरूप उपयुक्त लेखा रेकॉड्र्स का रखरखाव शामिल है, ताकि लेखांकन रेकॉड्र्स की सटीकता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित किया जा सके, जो वित्तीय वक्तव्य में सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करे, जो किसी भी तरह की त्रुटि, गलती, धोखाधड़ी से मुक्त हो।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए, प्रबंधन कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए प्रकटीकरण के लिए ज़िम्मेदार होता है, जब तक प्रबंधन संबंधित मामलों और लेखांकन के आधार का उपयोग करते हुए कंपनी के संचालन को बंद करने, इसे समाप्त करने या ऐसे किसी वास्तविक विकल्प का इरादा न रखता हो।

ये निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के मूल्यांकन के लिए भी उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों के अंकेक्षक के लिए अंकेक्षकों का उत्तरदायित्व :-

हमारा उद्देश्य अंकेक्षण के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है की वित्तीय विवरणों धोखाधारी या त्रुटि पूरी तरह से मुक्त है और एक अंकेक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिएजिसमे हमारी राय सम्मिल्लित है जो उचित स्थिति का प्रस्तुतीकरण है, लेकिन ये दावा नहीं है कि (SAs) के अनुरूप किया गया लेखपरीक्षण हमेशा इसमें मौजूद त्रुटि को पहचानने में सक्षम होगा। यह त्रुटि किसी गलती या धोखाधड़ी के कारण हो सकती है और इन्हें भौतिक माना जाता है, अगर ये वित्तीय वक्तव्य के आधार पर उपयोगकर्ता के आर्थिक फैसले को प्रभावित करती है।

SAs के अनुरूप किए गए लेखापरीक्षण के तहत हम प्रोफेसनल फैसला लेते हैं और लेखापरीक्षण के आधार पर प्रोफेसनल अनुमान लगाते हैं। हमः

- त्रुटि या धोखाधड़ी या लेखापरीक्षा प्रक्रिया के डिज़ाइन में गलती की वजह से एकल(standalone) वित्तीय विवरणों में भौतिक त्रुटि की पहचान और मूल्यांकन करते हैं तथा ऐसे लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करते हैं जो हमारे विचार को आधार देने के लिए पर्याप्त एवं उचित हो। त्रुटि के बजाए धोखाधड़ी के कारण हुई गलती को न पहचानने की संभावना अधिक होती है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाज़ी, जानबूझकर की गई गलती या आंतरिक नियन्त्रण की उपेक्षा शामिल होती है।
- हम ऐसी लेखपरीक्षा प्रक्रिया के डिज़ाइन के लिए लेखापरीक्षा के संदर्भ में भीतरी वित्तीय नियन्त्रण को समझने का प्रयास करते हैं, जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हो किंतु कंपनी के भीतरी नियन्त्रण की प्रभाविता पर विचार अभिव्यक्त करते के प्रयोजन के लिए न हो।
- लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता, लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित खुलासे का मूल्यांकन करते हैं।

- लेखापरीक्षण के परिणामों के आधार प्रबंधन द्वारा लेखों के इस्तेमाल की उपयुक्तता की समीक्षा करते हैं, हम मूल्यांकन करते हैं कि क्या किसी ऐसी स्थिति के संबंध में भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो कंपनी की क्षमता पर संदेह उत्पन्न कर सकती है। अगर हमें लगता है कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हम स्टैण्डअलोन वित्तीय वक्तव्य में संबंधित खुलासे की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, अथवा अगर ऐसे खुलासे अनुपयुक्त हैं, तो हमारे विचार में संशोधन करते हैं। हालांकि भावी कार्यक्रम या घटनाएं कंपनी के लिए चिंता का विषय बन सकती हैं।
- वित्तीय विवरण के सभी अवयवों, समग्र प्रेज़ेन्टेशन और खुलासे का मूल्यांकन करते हैं और जांचते हैं कि क्या वित्तीय वक्तव्य अंतर्निहित लेनदेनों को अभिव्यक्त करता है और घटनाओं को पारदर्शी रूप में प्रस्तुत करता है।

हम त्रुटि या धोखाधड़ी या भौतिकता स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों में त्रुटि का परिमाण है, जो व्यक्तिगत या समग्र रूप से, इस बात की संभावना उत्पन्न करता है कि एकल (standalone) वित्तीय विवरण के यथोचित जानकार उपयोगकर्ताका आर्थिक फैसला प्रभावित हो सकता है। हम:

1) हमारे लेखापरीक्षा काय्र के दायरे की योजना और हमारे कार्य के परिणामों के मूल्यांकन;

, और 2) एकल (standalone) वित्तीय विवरणों में पहचानी गई त्रुटि के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए गुणात्मक भौतिकता और मात्रात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम वक्तव्य से जुड़े अधिकारियों को हमारे द्वारा संकलित की गई सभी प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराते हैं, उनसे आवश्यकतानुसार सभी मामलों के बारे में बातचीत करते हैं जिनका प्रभाव हमारी स्वतन्त्रता पर पड़ सकता है।

हम उन लोगों को भी एक बयान के साथ शासन प्रदान करते हैं जो हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

अन्य वैधानिक एवं नियामक आवाश्यकताओं पर प्रितिवेदन)रिपोर्ट(:-

1. कंपनी अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   (क) हमने अपनी जानकारी के अनुसार हर संभव जानकारी और स्पटीकरण प्राप्त किया है, जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य है।

   (ख) हमारे विचार में, कानून के मुताबिक आवश्यक, उचित लेखा पुस्तकें अब तक कंपनी द्वारा रखी गई हैं, जो हमारे द्वारा इन पुस्तकों की जांच में स्पष्ट होता है।

   (ग) इस रिपोर्ट की बैलेंस शीट, लाभ हानि विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण खातों की पुस्तकों में दिए गए समझौते के अनुरूप है।

   (घ) हमारे विचार में, कथित वित्तीय विवरण अधिनिमय की धारा 133 में निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप है।

(ङ) निदेशक मंडल के रेकॉर्ड के मुताबिक और 31 मार्च 2021 के निदेश्ज्ञकों से मिली लिखित अभिव्यक्ति के आधार पर, किसी भी निदेशक को अधिनियम की धारा 164(2) के तहत 31 मार्च 2021 तक निदेशक रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

(च) अधिनियम की धारा 197(16) के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल अन्य मामलों के संदर्भ में, जैसा कि संशोधित किया गया है,

हमारे विचार में और हमारी जानकारी के मुताबिक और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निजी कंपनी है, ऐसे में प्रबंधकीय पारिश्रमिक के मामले में अधिनियम की धारा 197 लागू नहीं होती है।

2. हमारे विचार और हमारी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में शामिल अन्य मामलों के संदर्भ में,

   i. कंपनी के कोई लंबित मुकदमे नहीं हैं जिनका असर इसकी वितीय स्थिति पर पड़ सकता है।

   ii. व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कंपनी के कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं हैं, जिनके कारण उन्हें किसी भौतिक नुकसान की संभावना हो।

   iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी, जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष में स्थानान्तरित करने की आवश्यकता हो।

3. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(11) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश/सीएआरओ CARAO 2016") द्वारा अपेक्षित है, हम आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर "अनुलग्नक अ" में एक विवरण देते हैं।

4. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के भाग IV की धारा 378ZG द्वारा अपेक्षित है, हम "अनुलग्नक ब " में उस अनुभाग में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।

एस. बी. बिलिमोरिया एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
(पंजीकरण सं. 101496W)

जितेंद्र अग्रवाल
साझेदार

ICAI सदस्य सं 87104

स्थान :नई दिल्ली

दिनांक :13.09.2021

(यू डी आई एन: 21087104AAAAFQ6990)

लेखा अंकेक्षक के प्रितिवेदन (रिपोर्ट) के लिए अनुलग्नक "अ"

(हमारी रिपोर्ट के खंड 'अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत पैराग्राफ 2 में संदर्भित)

(i) इसके प्लांट, सम्पत्ति और उपकरणों के संदर्भ में:

(क) कंपनी से सम्पूर्ण विवरण से युक्त उचित रेकॉड्र्स रखे हैं, जिनमें प्लांट, सम्पत्ति और उपकरण का मात्रात्मक विवरण एवं स्थिति शामिल है।

(ख) सत्यापन के नियमित कार्यक्रम के अनुसार प्रबंधन द्वारा प्लांट, सम्पत्ति और उपकरणों का भौतिक सत्यापक साल के दौरन किया गया, जो हमारी राय में उचित अंतराल पर प्लांट, सम्पत्ति और उपकरणों का भौतिक सत्यापन प्रदान करता है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्अीकरण के अनुसार इस सत्यापन में कोई भी असमानता नहीं पाई गई है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास फ्रीहोल्ड या लीज़होल्ड ज़मीन की कोई अचल सम्पत्ति नहीं है और इसलिए सीएआरओ 2016 के खंड (i)(c) के तहत रिपोर्टिंग वैद्य नहीं है।

(ii) जैसा कि हमें बताया गया है साल के दौरान उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन किया गया और भौतिक सत्यापन में किसी तरह की भौतिक असमानता नहीं पाई गई।

(iii) कंपनी ने कोई भी सुरक्षित या असुरक्षित ऋण किसी कंपनी, फर्म या लिमिटेड दायित्व साझेदार या अन्य पार्टी को नहीं दिया है जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के तहत पंजीकृत है।

(iv) कंपनी ने कोई ऋण नहीं दिया है, निवेश नहीं किया है और न ही किसी तरह की गांरटी दी है और इसलिए (CARO) सीएआरओ 2016 के अनुछेद 3(iv) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के मुताबिक कंपनी ने जनता से कोई धनराशि स्वीकार नहीं की है। इसलिए (CARO)सीएआरओ 2016 के खंड (v) का प्रावधान लागू नहीं है।

(vi) कंपनी के कारोबार /गतिविधियों की प्रवृति के संदर्भ में (CARO)सी ए आर ओ 2016 के खंड(vi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(vii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के मुताबिक वैधानिक बकाया के संदर्भ में:

क. कंपनी ने आमतौर पर नियमित रूप से अपने वैधानिक बकाया उपयुक्त अधिकारियों को जमा किए हैं जिसमें प्रोविडेन्ट फंड(Provident fund), कर्मचारी बीमा, आयकल, जीएसटी, सैस एवं अन्य बकाया राशि शामिल है। हमें सूचित किया गया है कि साल के दौरान कंपनी के तहत होने वाले संचालन कस्टम ड्यूटी और एक्साइज़ ड्यूटी के किसी तरह की देयता उत्पन्न नहीं करते हैं।

ख. 31 मार्च, 2021को भुगतान योग्य दिनांक से छह महीने से अवधि के लिए प्रोविडेन्ट फंड, कर्मचारी बीमा, आयकर, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज़ ड्यूटी, जीएसटी, सैसएवं अन्य किसी भी संदर्भ में कोई विवादित राशि देय नहीं है।

ग. 31 मार्च, 2021 को प्रोविडेन्ट फंड, कर्मचारी बीमा, आयकर, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज़ ड्यूटी, जीएसटी, सैसएवं अन्य किसी भी संदर्भ में बकाया राशि देय नहीं है।

(viii) कंपनी ने कोई ऋण या धनराशि किसी वित्तीय संस्थान, बैंकों और सरकार से स्वीकार नहीं की है। और ना ही कोई डिबेंचर जारी किए हैं। इसलिए (CARO) सीएआरओ 2016 के खंड(viii) का प्रावधान लागू नहीं है।

(ix) कंपनी ने शुरूआती सार्वजनिक पेशकश, या अगली सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरण सहित) या आवधिक ऋण के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई है। इसलिए (CARO) सीएआरओ 2016के खंड (ix) का प्रावधा लागू नहीं है।

(x) हमारी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के मुताबिक कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है और न ही इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर धोखाखड़ी का कोई मामला साल के दौरान दर्ज किया गया है।

(xi) कंपनी एक निजी कंपनी है और कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 197 के प्रावधान लागू नहीं होते।

(xii) कंपनी एक निधी कंपनी नहीं है और इसलिए (CARO) सी ए आर ओ 2016 के खंड (xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xiii) कंपनी एक निजी कंपनी है और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और 188 का प्रावधान वैद्य नहीं है। हमारे राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वैद्य लेखा मानकों के अनुसार आवश्यक वित्तीय विवरणों में संबंधी पक्षीय लेनदेनों का विवरण दिया है।

(xiv) वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई तरजीही आवंटन नहीं किया है या शेयरों का निजी प्लेसमेंट नहीं किया है या आंशिक या पूर्ण रूप से रूपान्तरण योग्य डिबेंचर्स का हस्तान्तरण नहीं किया है और इसलिए सी ए आर ओ 2016 के खंड (xiv) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के मुताबिक साल के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या इससे जुड़े लोगों के साथ गैर-नकदी लेनदेन नहीं किए हैं और इसलिए कंपनी अधिनिमय 2013 की धारा 192 वैद्य नहीं है।

(xvi) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा-45 IA के तहत पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है।

एस. बी. बिलिमोरिया एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
(पंजीकरण सं. 101496**W**)
जितेंद्र अग्रवाल
साझेदार
ICAI सदस्य सं 87104
(UIDIN यू डी आई एन: 21087104AAAAFQ16990)

स्थान :नई दिल्ली

दिनांक :13.09.2021

<u>लेखा अंकेक्षक के प्रितिवेदन (रिपोर्ट) के लिए अनुलग्नक "ब"</u>

(हमारी रिपोर्ट के खंड ''अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत पैराग्राफ 3 में संदर्भित)

i. माल एवं सेवाओं की बिक्री से बकाया ऋण राशि का उल्लेख वित्तीय वक्तव्य के नोट 15 में किया गया है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार नोट 15 मैं दर्शाये वित्तीय विवरणों के अलावा कोई भी ऋण वसूली के लिए संदिग्ध नहीं है।

ii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के अंत में हाथ में मौजूद पैसे का भौतिक सत्यापन प्रबंधन द्वारा किया गया है और इस सत्यापन में किसी तरह की असमानता नहीं पाई गई है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी कोई निवेश प्रतिभूति नहीं रखती है।

iii. 31 मार्च, 2021को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सम्पत्ति एवं देयता का विवरण कंपनी के 31 मार्च, 2021के वित्तीय विवरण के अनुरूप है।

iv. हमारे विचार में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के मुताबि कंपनी ने ऐसा कोई भी लेनदेन नहीं किया है जो कंपनी अधिनियम 2013 के भाग XXIA के प्रावधानों के विपरीत प्रतीत होता हो।

v. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के मुताबिक कंपनी ने अपने निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है।

vi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के मुताबिक कंपनी ने साल के दौरान कोई दान या सदस्यता नहीं दी है।

एस. बी. बिलिमोरिया एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
(पंजीकरण सं. 101496**W**)

जितेंद्र अग्रवाल
साझेदार

ICAI सदस्य सं 87104

स्थान :नई दिल्ली

दिनांक :13.09.2021

(यू डी आई एन: 21087104AAAAFQ6990)

कौशिकी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

सहरसा बिहार

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए (₹)	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए (₹)
समता एवं दायित्व			
अंशधारकों का कोष			
(अ) अंश पूंजी	3	11,062,500	5,332,800
(ब) संचित एवं अधिशेष	4	12,514,340	5,461,316
आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि	34	1,838,300	1,968,200
आस्थगित अनुदान	5	120,208,352	106,129,480
गैर–चालू दायित्व			
(अ) दीर्घकालीन प्रावधान	6	3,503,076	1,742,292
(ब) अन्य दीर्घकालीन दायित्व	7	7,719,952	5,486,781
चालू दायित्व			
(अ)) व्यापारिक देनदारियां			
(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	8	502,562	3,570,810
(ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		20,694,471	15,517,632
(ब) अन्य चालू दायित्व	9	28,087,470	15,918,386
(स) अल्पकालीन प्रावधान	10	146,103	2,399,027
कुल योग		**206,277,126**	**163,526,725**
संपत्तियाँ			
गैर–चालू संपत्तियाँ			
(अ) संपत्ति, प्लांट और उपकरण			
(i) मूर्त संपत्तियाँ	11a	87,492,569	76,517,616
(ii) अमूर्त संपत्तियाँ	11b	1,089,665	1,392,299
(iii) प्रगति अधीन पूंजी	11c	24,961,568	24,931,594
(iv) विकास के तहत अमूर्त संपत्तियाँ	11c	6,590,450	5,287,971
(ब) आस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)	12	948,786	648,096
(स) दीर्घकालीन. ऋण एवं अग्रिम	13	326,092	218,923
चालू संपत्तियाँ			
(अ) स्टॉक	14	6,544,061	4,990,358
(ब) व्यापारिक लेनदारियाँ	15	13,585,153	10,010,601
(स) रोकड एवं रोकड तूल्य	16	2,601,205	11,125,247
(द) अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	17	62,137,577	30,404,019
कुल योग		**206,277,126**	**163,526,725**

हमारी संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में

वास्ते एस बी बिल्लिमोरिया एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या-101496W
ह-/.
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार
(ICAI सदस्यता सं- 87104)

स्थान-नई दिल्ली

दिनांक 13 सेप्टेम्बर, 2021

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

ह-/.
(संदीप कुमार यादव)
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
DIN: 08614881

ह-/.
(मीरा देवी)
निदेशक एवं अध्यक्षा
DIN:07904299

ह -/.
(प्रेमशंकर चौधरी)
कंपनी सचिव
ICSI सदस्यता सं- 48978
स्थान-सहरसा,

ह -/.
(शैलेन्द्रनाथ शुक्ला)
प्रबन्धक – खाता एवं वित्त
दिनांक 13 सेप्टेम्बर, 2021

कौशिकी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

सहरसा बिहार

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का अंकेक्षित लाभ-हानि विवरण

विवरण		नोट सं.	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए (₹)	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिऐ (₹)
I.	परिचालन से राजस्व	18	262,368,392	165,445,608
II.	अन्य राजस्व	19	536,064	2,117,149
III.	कुल राजस्व		**262,904,456**	**167,562,757**
IV.	व्ययः			
	व्यवसाय में लगे स्टॉक की खरीद	20	230,767,973	148,479,109
	व्यवसाय में लगे स्टॉक में परिवर्तन	21	370,917	(3,141,808)
	कर्मचारियों के लाभों संबंधित व्यय	22	5,373,953	1,576,389
	वित्तीय लागतें	23	-	136,455
	मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय	11	-	-
	अन्य व्यय	24	18,161,340	7,917,083
	कुल व्यय		**254,674,183**	**154,967,227**
V.	कर पूर्व लाभ/(हानि (III- IV)		8,230,273	12,595,530
VI.	कर व्ययः			
	(क) चालू कर		1,237,060	2,210,405
	(ख) आस्थगित कर व्यय/(आय)		(300690)	(648,096)
	(ग) गतवर्ष संबधित लघु प्रावधान		240,879	-
	शुद्ध कर व्यय अवधि		1,177,249	1,562,309
VII.	वर्ष का लाभ/(हानि) **कर के बाद**(V-VI)		**7,053,024**	**11,033,221**
VIII.	प्रति समता अंश आय	28		
	समता अंश 100 रूपये प्रति अंश			
	(1) मूल		93.37	621.03
	(2) डायल्यूटेड		92.82	582.27

हमारी संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते एस बी बिल्लिमोरिया एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या-101496W
ह-/.
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार
(ICAI सदस्यता सं- 87104)
स्थान-नई दिल्ली

दिनांक 13 सेप्टेम्बर, 2021

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

ह-/.
(संदीप कुमार यादव)
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
DIN: 08614881

ह-/.
(मीरा देवी)
निदेशक एवं अध्यक्षा
DIN:07904299

ह -/.
(प्रेमशंकर चौधरी)
कंपनी सचिव
ICSI सदस्यता सं- 48978
स्थान-सहरसा,

ह -/.
(शैलेन्द्रनाथ शुक्ला)
प्रबन्धक – खाता एवं वित्त
दिनांक13 सेप्टेम्बर, 2021

कौशिकी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
सहरसा बिहार
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का रोकड़ प्रवाह विवरण

	विवरण		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए (₹)
अ)	प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
	लाभ–हानि विवरण के अनुसार कर से पूर्व शुद्ध लाभ		8,230,273		12,595,530
	समायोजन के लिए :				
	प्राप्त ब्याज		(56443)		-
	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		-		510,316
	कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान		1,829,890		1,381,276
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व व्यावसायिक लाभ		10,003,720		14,487,121
	कार्यशील पूंजी के लिए समायोजन:				
	स्टॉक में वृद्धि / (कमी)		(1,553,703)		(4,716,059)
	यावसायिक प्राप्यों में वृद्धि / (कमी)		(3,574,551)		(8,341,373)
	दीर्घकालीन ऋणों एवं अग्रिमों में वृद्धि / (कमी)		(107,169)		(53,148)
	अल्पकालीन ऋणों एवं अग्रिमों में वृद्धि / (कमी)		(31,733,557)		(7,874,556)
	व्यावसायिक देयताओं में वृद्धि / (कमी)		2,108,591		14,104,646
	अन्य दीर्घकालीन दायित्वों में वृद्धि / (कमी)		2,233,171		4,286,930
	अन्य चालू दायित्वों में वृद्धि / (कमी)		17,539		(14,417)
	(प्रयुक्त) परिचालन गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह		**(22,605,959)**		**11,879,144**
	शुद्ध आय कर भुगतान		(3725870)		(24,830)
	प्रयुक्त / परिचालन गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह (अ)		**(26331829)**		**11,854,314**
ब)	विनियोगात्मक गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
	प्राप्त ब्याज		56,443		-
	संपत्ति संयंत्र और उपकरण के लिए भुगतान (पूंजीगत अनुदान का शुद्ध)		12,151,545		(9,258,862)
	विनियोगात्मक गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह (ब)		**12,207,988**		**(9,258,862)**
स)	वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
	समता अंश जारी करने से प्राप्तियां		3,761,500		4,455,200
	अंश आवेदन राशि से प्राप्तियां		1,838,300		1,968,200
	प्रयुक्त वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह (स)		**5,599,800**		**6,423,400**
	रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य में शुद्ध वृद्धि / कमी (अ +ब् +स)		**(8524041)**		**9,018,852**
	रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य का आरम्भिक शेष		**11,125,246**		**1,969,938**
	रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य का अंतिम शेष		**2,601,205**		**10,988,790**
	रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य में सम्मिलित है				
	बैंक शेष				
	–चालू खाते		**2,601,205**		**11,125,246**
	रोकड़ प्रवाह विवरण के अनुसार रोकड एवं रोकड तुल्य		**2,601,205**		11,125,246
	आर्थिक चिट्ठा के अनुसार रोकड एवं रोकड तुल्य (**नोट्स 16**)		**2,601,205**		**11,125,246**

हमारी संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में

वास्ते एस बी बिल्लिमोरिया एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या-101496W
ह-/.
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार
(ICAI सदस्यता सं- 87104)
स्थान-नई दिल्ली
दिनांक 13 सेप्टेम्बर, 2021

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

ह-/.
(संदीप कुमार यादव)
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
DIN: 08614881

ह-/.
(मीरा देवी)
निदेशक एवं अध्यक्षा
DIN:07904299

ह -/.
(प्रेमशंकर चौधरी)
कंपनी सचिव
ICSI सदस्यता सं- 48978

ह -/.
(शैलेन्द्रनाथ शुक्ला)
प्रबन्धक – खाता एवं वित्त

स्थान-सहरसा,
दिनांक13 सेप्टेम्बर, 2021

कौशिकी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(CIN: U01100BR2017PTC035807)

रजिस्टर्ड ऑफिस: वार्ड संख्या 31, हटिया गाछी , एनएच-107, सहरसा , बिहार -852201

दूरभाष:-**+918252911011**,ईमेल(**Email**):**-enquiry@kaushikeemilk.com,**

वेबसाइट(**website**):-**www.kaushikeemilk.com**

पाँचवीं वार्षिक आम सभा की सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कौशिकी महिला मिल्क प्रोडूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों की पाँचवीं वार्षिक आम सभा 26 नवंबर, 2021 दिन शुक्रवार को प्रातः11:30 बजे प्रतीक्षा गार्डेन, वार्ड नंबर-31, हटिया गाछी, एन एच -107, सहरसा- 852201, में निम्नलिखित व्यवसाय को पारित करने के लिए आयोजित की जाएगी:-

1. **31 मार्च, 2021 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्टा, लाभ और हानि खाता, रोकड़ प्रवाह विवरण तथा अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को प्राप्त करके उन पर विचार करना एवं उन्हें अपनाना एवं इस संबंध मे निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना:**

   "प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च, 2021 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्टा, लाभ और हानि खाता, रोकड़ प्रवाह विवरण अनुसूची एवं टिप्पणियां जो खातों का हिस्सा है, कंपनी के अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को अनुमोदित एवं अपनाया जाता है।"

2. **वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए कंपनी के बजट पर विचार और अनुमोदन करना।**

   "प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए कंपनी का बजट, जैसा कि वार्षिक आम सभा मे रखा गया है, एतद् द्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

3. **सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित सकल्प पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संसोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना**

   "प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम ,2013 के अध्याय XXI-A के प्रावधानों के अनुसार धारा 152 के साथ पठित एवं कंपनी अधिनियम ,2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार यदि हो तो कंपनी की निदेशक श्रीमती ममता चौपाल (DIN 07904272) आगामी वार्षिक आम बैठक में चक्रीय क्रम से सेवानिर्वित होती है और श्रीमती रूबी कुमारी (फोलियो नो 0002660) को उक्त रिक्त पद पर, निदेशक संख्या प्राप्ति की तिथि से, निदेशक नियुक्त किया जाता है जो कि चक्रीय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है|"

4. **सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित सकल्प पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संसोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना**

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम ,2013 के अध्याय XXI-A के प्रावधानों के अनुसार धारा 152 के साथ पठित एवं कंपनी अधिनियम ,2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार यदि हो तो कंपनी की निदेशक श्रीमती रंजू कुमारी (DIN 07904330), आगामी वार्षिक आम बैठक में चक्रीय क्रम से सेवानिर्वित होती है और श्रीमती सीमा कुमारी (फोलियो नो 0010402) को उक्त रिक्त पद पर, निदेशक संख्या प्राप्ति की तिथि से, निदेशक नियुक्त किया जाता है जो कि चक्रीय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है|"

5. **कंपनी के वैधानिक अंकेक्षकों की नियुक्ति पर विचार कर अनुमोदन करना एवं उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना और निम्नलिखित विशेष प्रस्ताव पारित करना: -**

"प्रस्ताव पारित किया जाता है की कंपनी अधिनियम ,2013 की धारा 139, 140 और अन्य लागू प्रावधानों के प्रावधानों और समय-समय पर संशोधित किए गए नियमों के अनुसार यदि कोई हो, मेसर्स एस एन धवन एंड कंपनी एल एल पी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, गुरुग्राम(फर्म पंजीकरण संख्या-000050N/N500045) को मौजूदा वैधानिक अंकेक्षकों मेसर्स एस बी बिल्लिमोरिया एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, गुरुग्राम हरयाणा (फर्म पंजीकरण संख्या-101496W) जो इस वार्षिक आम सभा में सेवानिर्वित हो रहें हैं और जिन्होंने वार्षिक आम सभा में पुनः नियुक्ति पर अनिक्छा व्यक्त करते हुए एक पत्र दिया है, के स्थान पर वैधानिक अंकेक्षकों के रूप में इस वार्षिक आम बैठक के समापन से लेकर वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली दसवीं वार्षिक आम बैठक के समापन तक, कंपनी के निदेशक मण्डल द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित होनेवाले पारिश्रमिक पर नियुक्त किया जाता है|"

6. **कंपनी के अंतर्नियमों में परिवर्तन पर विचार एवं अनुमोदन करना और इस संबंध मे निम्नलिखित विशेष प्रस्ताव पारित करना:**

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378-I एवं अन्य लागू प्रावधान और अधिनियम के अध्याय XXI-A के प्रावधान के अनुसार कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेदों के बनाए गए नियमों को निम्नलिखित तरीके से बदला जाएगा :

अनुच्छेद 1.1, 1.2, 1.3(i), 1.3(ii), 1.3(iii), 2.1(i), 2.1(vii), 2.1(ix), 2.1(xiii), 6.8, 7, 9.2, 9.17, 9.18(ii)(k), 19.1 को यहां वर्णित तरीके से और सीमा तक प्रतिस्थापित,19.2 का लोप किया जाता है तथा अनुच्छेद 19.3 को 19.2 क्रमांकित किया जाता है। अनुच्छेद() 2.1 viii) के बाद नया अनुच्छेद) 2.1 viii)) a) सम्मिलित किया जाता है।

अनुच्छेद-:1.1 जहां कहीं भी कंपनी अधिनियम, 2013 (लागू सीमा तक) में यह प्रावधान दिया गया है कि यदि उसके अनुच्छेदों द्वारा ऐसा अधिकृत किया गया है, तो कंपनी के पास कोई अधिकार या विशेषाधिकार होगा, इस अनुच्छेदों के आधार पर, कंपनी विशेष रूप से अधिकृत, सशक्त और इस तरह के अधिकार या विशेषाधिकार प्राप्त करने की हकदार है, जैसा कि अधिनियम द्वारा अनुमति दी गई है जो कि बिना किसी विशिष्ट प्रावधान और या/उस संबंध में अलग अनुच्छेद प्रदान किए गए हैं।

अनुच्छेद 1.2:- अधिनियम में तालिका एफ के अनुसूची I में विनियम 45 से 47 को छोड़कर निहित विनियम, कंपनी पर लागू नहीं होंगे।

अनुच्छेद 1.3 (i):- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378A (I) के परिभाषा अनुसार कंपनी एक उत्पादक कंपनी है।

अनुच्छेद 1.3 (ii): - कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI-A में निर्दिष्ट के अलावा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए लागू कंपनी अधिनियम, 2013 (लागू सीमा तक) की सभी सीमाएं, प्रतिबंध और प्रावधान, कंपनी पर लागू होगे, और जैसा कि यह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसलिए यह अधिनियम के अध्याय XXIA के प्रावधानों के विरोध में नहीं हैं।

अनुच्छेद 1.3 (iii): - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा378 C (5) के परिभाषा अनुसार कंपनी को एक निजी कंपनी माना जाता है और इसप्रकार;

(क) इसमे दिए गई रीति और सीमा तक अंशों को स्थानांतरित करने के अधिकार को प्रतिबंधित करता है; और

(ख) कंपनी में किसी अंश या ऋणपत्र के लिए सदस्यता जनता के किसी भी निमंत्रण को प्रतिबंधित करता है।

अनुच्छेद 2.1.i:- 'अधिनियम' का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 की संख्या 18) या किसी भी वैधानिक संशोधित या तत्समय के लिए लागू पुनर्गठित अधिनियम है।

अनुच्छेद 2.1.vii:-'कंपनी' का अर्थ कौशिकी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है।

अनुच्छेद 2.1.viiia :- "विशेषज्ञ निदेशक" का अर्थ अधिनियम की धारा 378P में निर्दिष्ट निदेशक से है।

अनुच्छेद 2.1.ix:- ''वित्तीय वर्ष'' का अर्थ प्रत्येक वर्ष मार्च की 31 तारीख को समाप्त होने वाली अवधि से है जिसके संबंध में कंपनी का वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है।

अनुच्छेद 2.1.xiii:- 'पारस्परिक सहायता सिद्धांत' का अर्थ है अधिनियम के अध्याय XXIA में निर्धारित सिद्धांत, और जैसा अनुच्छेद 3 में प्रदान किया गया है।

अनुच्छेद 6.8 :- कंपनी अधिनियम, 2013) लागू सीमा तक (के तहत दिए गए प्रावधानों के अनुसार कंपनी अपने स्वयं के समता अंश खरीद सकती है।

अनुच्छेद7 :- समता अंशों का हस्तांतरण

अधिनियम की धारा 378 ZD के प्रावधानों के अधीन, एक सदस्य बोर्ड की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद अपने पूरे या उसके कुछ हिस्से अंश को किसी सदस्य को हस्तांतरित कर सकता है।

अनुच्छेद 9.2 :- कंपनी के बोर्ड में कम से कम पांच किन्तु पंद्रह से अधिक निदेशक नहीं होंगे। जितनी अवधि के लिए बोर्ड उचित समझे, बोर्ड मे एक या एक से अधिक विशेषज्ञ निदेशकों को सहयोजित कर सकता है, जो निदेशकों की कुल संख्या के पांचवें हिस्से से अधिक नहीं हो।

अनुच्छेद 9.17 :- निदेशक बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकों में उपस्थिति के लिए यात्रा और होटल खर्च सहित ऐसे शुल्क और भत्ते के हकदार हो सकते हैं, यदि कोई हो, जो अधिनियम की धारा 378U के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा गठित किया गया हो, जैसा कि बोर्ड द्वारा तय किया जाएगा।

अनुच्छेद 9.18ii k:- अधिनियम की धारा378 U के प्रावधानों के अनुसार एक नामांकन समिति का गठन करने के लिए, आम सभा में अनुमोदित परिभाषित मानदंडों के आधार पर बोर्ड में पदों के लिए योग्य सदस्यों से प्राप्त आवेदनों की जांच इस आधार पर होगी जैसा कि इसके अनुच्छेद मे दिया गया है एवं इसप्रकार बोर्ड के विचारार्थ योग्य सदस्यों के लिए अनुशंसा की जाएगी। बदले में बोर्ड, बोर्ड की बैठक में उचित विचार के बाद, वार्षिक आम सभा में सदस्यों द्वारा निर्वाचित या नियुक्त किए जाने वाले बोर्ड के पद के लिए सदस्यों की अनुशंसा करेगा।

अनुच्छेद -:19.1 बोर्ड, कंपनी (अंश पूँजी और डिबेंचर नियम, 2014) में निहित प्रावधानों के अधीन, सील की सुरक्षित अभिरक्षा प्रदान करेगा, बोर्ड द्वारा पूर्व में दिए गए प्राधिकरण या उस संबंध में बोर्ड द्वारा अधिकृत बोर्ड की समिति के अलावा किसी भी उपकरण पर मुहर नहीं लगाई जाएगी; बोर्ड ऐसे व्यक्ति(यों) को नामित कर सकता है ,जो कानून के तहत निर्धारित किसी भी तरीके से प्रत्येक दस्तावेज़ पर ,जिस पर मुहर उनकेसमक्ष लगाई गई है, हस्ताक्षर करेंगे।

अनुच्छेद:19.2 - इस खंड का लोप किया जाएगा तथा अनुच्छेद क्रमांकित किया 19.2 को 19.3 जाएगा।"

"आगे यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है की, इस प्रस्ताव को प्रभाव देने के प्रयोजन के लिए, मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव को कंपनी के रजिस्ट्रार में, सभी आवश्यक फॉर्म दाखिल करने तथा ऐसे सभी कदम उठाने और ऐसे सभी कृत्यों, कामों, मामलों, एवं विषयो-वस्तुओं को करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जो इस संबंध में उत्पन्न हो सकने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह को सुलझाने के लिए अपने पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक और समीचीन हो ।"

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान: सहरसा
तिथि: 25.10.2021

ह./-
संदीप कुमार यादव
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
(डीआईएन: 08614881)

टिप्पणियाँ

1. कंपनी को प्राधिकरणों द्वारा जारी सभी कोविड-19 संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। इसलिए, कंपनी के सदस्य, जो वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें वार्षिक आम सभा की निर्धारित तारीख से कम से कम 7 दिन पहले कंपनी को सूचित करना आवश्यक है सामाजिक दूरी मानदंडों और अन्य सभी COVID- 19 संबंधित आवश्यक शर्तों का पालन सख्ती से लागू करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा सकें। COVID- 19 से बचाव के मद्देनजर, प्रत्येक सदस्य को एजीएम मे शामिल होने की पूर्व सूचना दिए बिना एजीएम(वार्षिक आम सभा) मे शामिल होने की अनुमति नही दी जाएगी।

2. कोई भी सदस्य जो कंपनी के वार्षिक आम सभा में उपस्थित और मतदान करने का अधिकार रखता है, उसे अधिकार है कि वह अपने स्थान पर **प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है तथा इस प्रतिनिधि के लिए कंपनी का सदस्य होना आवश्यक है। गैर सदस्य को प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जा सकता है।** इस प्रकार के प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिए प्रोक्सी फॉर्म सही तरह से भर कर, स्टम्प लगाकर और हस्ताक्षर कर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय मे कम से कम आम सभा के निर्धारित समय से घंटे पूर्व जमा कराया जाना आवश्यक है। प्रोक्सी फॉर्म का खाली प्रारूप 48 यहाँ संलग्न है।

3. कंपनी मे अंशधारिता या संरक्षण के बावजूद प्रत्येक सदस्य के पास केवल एक वोट होगा हाथ) (साथ मतदान-दिखने के साथ, इस शर्त के तहत कि सदस्य ने मतदान के लिए एक मूल शर्त को पूरा किया है, यानि उस सदस्य ने पिछले वित्त वर्ष दिनों 200 के दौरान कम से कम 21-2020 लीटर दूध आप 500 के लिए कम से कम ूर्ति की है।

4. **इस सूचना के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न है**:

   (क) 19 दिसंबर, 2020 को आयोजित पिछली वार्षिक आम सभा कि कार्यवृति।

   (ख) वित्तीय वर्ष 2021-2022 का बजट।

   (ग) नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति कि इच्छा रखने वाले निदेशक का विवरण जैसा कि उपरोक्त मद संख्या 3 एवं 4 मे दिया गया है

   (घ) 31 मार्च, 2021 को अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाता तथा अंकेक्षकों एवं निदेशकों कि रिपोर्ट।

5. कोई भी सदस्य कंपनी के परिचालन या खातों से संबंधित जानकारी को प्राप्त करना चाहते है तो वे अपने प्रश्नो को वार्षिक आम सभा से दिन पूर्व कंपनी सचिव कंपनी 7 को पंजीकृत कार्यालय मे भेज सकते है जिससे कि जानकारी उन्हें आम सभा में उपलब्ध कराई जा सके।
6. सदस्यों से अनुरोध है कि वह अपने पते और बैंक खाते के परिवर्तन को मोबाईल नं. एवं पिन कोड के साथ कंपनी में तुरंत सूचित करें।
7. संलग्न सूचना से प्रासंगिक दस्तावेज सामान्य व्यावसायिक समय (11:00 बजे से 16:00 बजे) के दौरान सभी कार्य दिवसों में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।
8. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने सभी पत्राचार में अपने फोलियो नंबर और अपना 16 अंकों का सदस्य कोड अवश्य लिखें।
9. हथियार, अग्निशस्त्र, गोला-बारूद, चाकू और ब्लेड, तेज उपकरण आदि, आम सभा स्थल पर प्रतिबंधित हैं।
10. सभा की सूचना कंपनी कि वेबसाइट www.kaushikeemilk.com पर उपलब्ध है।

कौशिकी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक आम सभा का कार्यवृत जो सोमवार दिनांक 19 दिसंबर, 2020 को प्रतीक्षा गार्डेन,वार्ड नंबर-31, हटिया गाछी , एन एच 107, सहरसा- 852201, बिहार , मे प्रातः 11 00.बजे शुरू हुआ और दोपहर 12.30 बजे समाप्त हुआ था।

उपस्थित :

1.	श्रीमती मीरा देवी	:	अध्यक्षा एवं अंशधारक
2.	श्रीमती ममता चौपाल	:	निदेशक एवं अंशधारक
3.	श्रीमती रंजू कुमारी	:	निदेशक एवं अंशधारक
4.	श्रीमती प्रीति कुमारी	:	निदेशक एवं अंशधारक
5.	श्रीमती रंजू कुमारी	:	निदेशक एवं अंशधारक
6.	श्रीमती कोमल कुमारी	:	निदेशक एवं अंशधारक
7.	बर्जेश नारायण सिंह	:	विशेषज्ञ निदेशक
8.	श्री संदीप कुमार यादव	:	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
9.	श्री प्रेमशंकर चौधरी	:	कंपनी सचिव

1316 समता अंशरखने वाले 51 अंशधारक स्वयं मौजूद थे जिनमे से 5536 अंशधारकों ने 26057 समता अंशके लिए प्रतिनिधि माध्यम से प्रतिनिधित्व किया। कुल मिलाकर 27273 अंश रखने वाले 5587 सदस्य मौजूद थे। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZA (9) के प्रावधानों के अनुसार यह एक वैध कोरम का गठन था।

(क) श्रीमती मीरा देवी, बैठक की अध्यक्षता की और कंपनी सचिव ने कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 11.6 के संदर्भ में कोरम उपस्थिति की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि रजिस्टर, सदस्यों के रजिस्टर और निदेशकों के अंश रजिस्टर निरीक्षण के लिए उपलब्ध थे। इसके बाद सभा बुलाई गई।

(ख) अध्यक्ष ने कंपनी की चतुर्थ वार्षिक आम सभा में सदस्यों और निदेशकों का स्वागत किया।

(ग) सदस्यों को पहले ही चतुर्थ वार्षिक आम सभा बुलाने की सूचना भेजी गयी थी जिसे उपस्थित सदस्यों की सर्वसहमति से पढ़ा गया।

(घ) इसके बाद, अध्यक्ष ने अपने सम्बोधन में सदस्यों को कंपनी के संचालन और कंपनी द्वारा की गई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी।

तत्पश्चात, अध्यक्ष की सलाह पर कंपनी सचिव, श्री प्रेमशंकर चौधरी ने सभा के मसौदा के मदों पर जानकारी दी।

सभा ने निम्नलिखित व्यवसाय का लेन-देन किया :

1. 31 मार्च, **2020 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा को प्राप्त करने और उस तारीख कों समाप्तवर्ष के लिए कंपनी के लाभ हानि खाता ,रोकड़ प्रवाह विवरण, अनुसूची एवं टिप्पणियां जो खातों का हिस्सा है तथा कंपनी के अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट पर विचार और अनुमोदन करना और इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना:**

   श्रीमती परमिला देवी (फोलियो न.: 0002225) ने साधारण प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव दिया:

   चतुर्थ ए जी एम का प्रस्ताव सं.:19.12.2020:01/2020-21

   "प्रस्ताव यह है कि मार्च 31,का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा 2020 , लाभहानि खाता-, रोकड़ प्रवाह विवरण, अनुसूची एवं टिप्पणियां जो खातों का हिस्सा है, कंपनी के अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को अनुमोदित एवं अपनाया जाता है।"

   श्रीमती रेणु देवी (फोलियो न.:0013209) ने उपरोक्त प्रस्ताव कों अनुमोदित किया।

   अध्यक्ष ने हाथों के प्रदर्शन पर मत देने का प्रस्ताव रखा और इसे सर्वसहमति से घोषित किया।

2. **वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के अंतरिम बजट पर विचार और अनुमोदन करना।**

   श्रीमती बेवी देवी (फोलियो न.: 0005854) ने साधारण प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव दिया:

   चतुर्थ ए जी एम का प्रस्ताव सं.:19.12.2020:02/2020-21

   "प्रस्ताव यह है कि 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के लिए कंपनी का बजट अनुमान, जैसा कि वार्षिक आम बैठक से पहले निर्धारित किया गया है वो अनुमोदित है।"

   श्रीमती इंद्रा देवी (फोलियो न.: 0007974) ने उपरोक्त प्रस्ताव कों अनुमोदित किया।

   अध्यक्ष ने हाथों के प्रदर्शन पर मत देने का प्रस्ताव रखा और इसे सर्वसहमति से घोषित किया।

3. **श्रीमती मीरा देवी (डीआईएन 07904299) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना जो चक्रिय क्रम के आधार पर सेवा निवृत्त होती हैं और पुन :नियुक्ति के लिए खुद को योग्य पेश करती हैं।**

   श्रीमती चुन्मुम कुमारी (फोलियो न.: 0006643) ने साधारण प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव दिया:

चतुर्थ ए जी एम का प्रस्ताव सं.:19.12.2020:03/2020-21

"प्रस्ताव यह है कि श्रीमती मीरा देवी (डीआईएन 07904299), कंपनी के निदेशक, जो कंपनी की चतुर्थ वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत होंगी और योग्य होने पर पुन:नियुक्ति के लिए प्रस्ताव रखती है उन्हे कंपनी के निदेशक के रूप मे फिर से नियुक्त किया जाता है जो चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत होने के लिए उत्तरदायी होंगी।"

श्रीमती गुड्डी देवी (फोलियो न.: 00014266) ने उपरोक्त प्रस्ताव कों अनुमोदित किया।

अध्यक्ष ने हाथों के प्रदर्शन पर मत देने का प्रस्ताव रखा और इसे सर्वसहमति से घोषित किया।

4. सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक को निर्धारित करना और इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना:-

श्रीमती अर्चना कुमारी (फोलियो न.: 0011928) ने साधारण प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव दिया:

चतुर्थ ए जी एम का प्रस्ताव सं.:19.12.2020:04/2020-21

"प्रस्ताव यह है कि मेसर्स एस बी बिलिमोरिया एंड कंपनी, गुरुग्राम, हरयाणा, चार्टर्ड अकाउंटेंट (फार्म रजिस्ट्रेशन न101496 W) को कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए रु.7,87,500/- (रुपये सात लाख सतासी हज़ार पांच सो रूपये मात्र) के परिश्रमिक अतिरिक्त कर एवं वास्तविक खर्च प्रतिपूर्ति पर पुनः नियुक्ति के लिए कंपनी के चतुर्थ वार्षिक आम सभा मे अंशधरकों से अनुशंसा की जाती है।

श्रीमती प्रीतम कुमारी (फोलियो न.: 0002744) ने उपरोक्त प्रस्ताव कों अनुमोदित किया।

अध्यक्ष ने हाथों के प्रदर्शन पर मत देने का प्रस्ताव रखा और इसे सर्वसहमति से घोषित किया।

5. निर्देशक के रूप में श्रीमती रंजू कुमारी की नियुक्ति।

श्रीमती प्रभा कुमारी (फोलियो न.: 0005153) ने साधारण प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव दिया:

चतुर्थ ए जी एम का प्रस्ताव सं.:19.12.2020:05/2020-21

"**प्रस्ताव यह है कि** श्रीमती रंजू कुमारी (DIN:08841324), जिन्हें 20 अगस्त, २०२० को कंपनी के निदेशक मंडल में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जिनकी कार्यकाल इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक है, को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनकी कार्यालय की अवधि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

"आगे यह संकल्प लिया गया कि मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव को कंपनी रजिस्ट्रार के साथ आवश्यक प्रपत्र दाखिल करने और इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सभी कृत्यों, कर्मों, मामलों और चीजों को करने एवं, ऐसे सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है ।."

श्रीमती बेबी देवी (फोलियो न.: 0001543) ने उपरोक्त प्रस्ताव कों अनुमोदित किया।

अध्यक्ष ने हाथों के प्रदर्शन पर मत देने का प्रस्ताव रखा और इसे सर्वसहमति से घोषित किया।

6. निर्देशक के रूप में श्रीमती प्रीति कुमारी की नियुक्ति।

श्रीमती विवेक देवी (फोलियो न.: 0014025) ने साधारण प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव दिया:

<u>चतुर्थ ए जी एम का प्रस्ताव सं.:19.12.2020:06/2020-21</u>

"**प्रस्ताव यह है कि** श्रीमती प्रीति कुमारी (DIN: 08730846), जिन्हें 27 मार्च, २०२० को कंपनी के निदेशक मंडल में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जिनकी कार्यकाल इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक है, को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनकी कार्यालय की अवधि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

"आगे यह संकल्प लिया गया कि मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव को कंपनी रजिस्ट्रार के साथ आवश्यक प्रपत्र दाखिल करने और इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सभी कृत्यों, कर्मों, मामलों और चीजों को करने एवं, ऐसे सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है ।."

श्रीमती विणा देवी (फोलियो न.: 0003010) ने उपरोक्त प्रस्ताव कों अनुमोदित किया।

अध्यक्ष ने हाथों के प्रदर्शन पर मत देने का प्रस्ताव रखा और इसे सर्वसहमति से घोषित किया।

7. निर्देशक के रूप में श्रीमती कोमल कुमारी की नियुक्ति।

श्रीमती अनीता देवी (फोलियो न.: 0005366) ने साधारण प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव दिया:

<u>चतुर्थ ए जी एम का प्रस्ताव सं.:19.12.2020:07/2020-21</u>

"**प्रस्ताव यह है कि** श्रीमती कोमल कुमारी (DIN: 08730884), जिन्हें 27 मार्च, २०२० को कंपनी के निदेशक मंडल में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जिनकी कार्यकाल इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक है, को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनकी कार्यालय की अवधि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

"आगे यह संकल्प लिया गया कि मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव को कंपनी रजिस्ट्रार के साथ आवश्यक प्रपत्र दाखिल करने और इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सभी कृत्यों, कर्मों, मामलों और चीजों को करने एवं, ऐसे सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है ।."

श्रीमती वन्दना देवी (फोलियो न.: 0015929) ने उपरोक्त प्रस्ताव कों अनुमोदित किया।

अध्यक्ष ने हाथों के प्रदर्शन पर मत देने का प्रस्ताव रखा और इसे सर्वसहमति से घोषित किया।

8. कंपनी के मुख्य उद्देश्य में परिवर्तन एवं अनुमोदन के लिए और इस संबंध में विशेष प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है।

श्रीमती नीलू देवी (फोलियो न.: 0014254) ने विशेष प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव दिया:

<u>चतुर्थ ए जी एम का प्रस्ताव सं.:19.12.2020:08/2020-21</u>

प्रस्ताव यह है कि कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IX-A के प्रासंगिक प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 1956 एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 किसी अन्य लागू प्रावधानों (के साथ या किसी भी वैधानिक संशोधन के साथ या उसके पुनः लागू होने पर), कंपनी के बहिर्नियम और अंतर्नियम के लागू प्रावधान और अंशधारकों और केंद्र सरकार की मंजूरी के अधीन, कंपनी के मौजूदा बहिर्नियम के धारा III ए मे बिंदु 5 के रूप में नये उदेश्य को जोड़कर और मौजूदा बिंदु 5 को नए बिंदु 6 के रूप में बदला जाता है।

5". प्राथमिक उत्पाद और उसके यौगिक सहित क्रय, उत्पादन, प्रसंस्करण, बिक्री, व्यापार, आयात, निर्यात आदि प्राथमिक उपज के व्यवसाय को चलाने के लिए मुख्य रूप से सदस्य और फिर दूसरे

होंगे, किन्तु यह खाद्य तेल, फलों और सब्जियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके विपणन के लिए और उन गतिविधियों से निपटने के लिए जो किसी भी गतिविधि से संबंधित या आकस्मिक का हिस्सा हैं।"

"प्रस्ताव यह भी है कि मुख्य कार्यकारी इस तरह के सभी कदम उठाने और ऐसे सभी कार्य, कर्म, मामलों और चीजों को करने के लिए अधिकृत है, जो इनके अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक और व्यावहारिक हो सकता है और सभी आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने के लिए, आवश्यक ई-फॉर्म भरने और इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह को निपटाने के लिए जो कि पूर्वोक्त प्रस्ताव को लागू करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। "

श्रीमती सुषमा देवी (फोलियो न.: 0007771) ने उपरोक्त प्रस्ताव कों अनुमोदित किया।

अध्यक्ष ने हाथों के प्रदर्शन पर मत देने का प्रस्ताव रखा और इसे सर्वसहमति से घोषित किया।

9. कंपनी के अंतर्नियम (AOA) में संशोधन और अनुमोदन के लिए और इस संबंध में विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को अपनाया जा सकता है।

श्रीमती रंजन देवी (फोलियो न.: 0006164) ने विशेष प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव दिया:

चतुर्थ ए जी एम का प्रस्ताव सं.:19.12.2020:09/2020-21

"प्रस्ताव यह है कि कंपनी अधिनियम, भाग के 1956IX-A विशेष खंड-581 I, 581ZQ, 581ZR के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार और कंपनी अधिनियम, के अन्य लागू 1956 प्रावधा, धारा 31 किसी) सहितभी वैधानिक संशोधनके साथ या उनके प्रावधानों को फिर से लागू करने के (नों) समय, यदि लागू हो तो कंपनी अधिनियम, के यथोचित 2013 परिवर्तनों सहित या अन्य शामिल होते है बहिर्नियम और अंतर्नियम (के लागू प्रावधान और कंपनी के मौजूदा अंतर्नियम एवं निम्नलिखित तरीके इस हद तक बदले जाए :

(क). मौजूदा अनुच्छेद 9.5.i मे परिवर्तन के बाद पढ़ा जाएगा;

बोर्ड में प्रत्येक वर्ग के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले पदों की संख्या, यथासंभव, संबंधित वर्ग के संरक्षण पर आधारित होगी । हालांकि, यह आवश्यकता बोर्ड द्वारा कंपनी की 7वीं वार्षिक आम बैठक के समापन तक माफ कर दी गई है।

(ख) मौजूदा अनुच्छेद 9.6.ii मे परिवर्तन के बाद पढ़ा जाएगा;

वार्षिक आम सभा में भरे जाने वाले बोर्ड की रिक्ति बोर्ड द्वारा नियुक्त नामांकन समिति की अनुशंसा पर आधारित होगी। हालांकि, यह आवश्यकता बोर्ड द्वारा कंपनी की 7वीं वार्षिक आम बैठक के समापन तक माफ कर दी गई है ।

(ग) मौजूदा अनुच्छेद 9.7 मे परिवर्तन के बाद पढ़ा जाएगा

बोर्ड रिक्त पदों या आकस्मिक रिक्ति पदों को भरने के लिए, अतिरिक्त निदेशक) ओं (या निदेशक को सहयोजित कर सकता है, बशर्ते कि आकस्मिक रिक्ति या रिक्ति पदों को भरने के लिए पहचाने गए सदस्य / सदस्यों ने सदस्यता जारी रखने के मानदंड को कम से कम दो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में पूरा किया हो और लेकिन इस प्रकार नियुक्त अतिरिक्त निदेशक या निदेशक कंपनी की अगली वार्षिक आम बैठक तक या कम अवधि के लिए पद धारण करेंगे। तथापि, ऐसे व्यक्ति को बाद के दो वर्षों में बोर्ड में रिक्त पद को भरने के लिए सहयोजित नहीं किया जा सकता है ।

हालांकि , ये कम से कम दो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए सदस्यता निरंतरता मानदंड की आवश्यकता कंपनी की 7वीं वार्षिक आम बैठक के समापन से प्रभावी होगी।

(घ) मौजूदा अनुच्छेद 11.6.i (सी). मे परिवर्तन के बाद पढ़ा जाएगा;

किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा जो सदस्य न हो। प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त सदस्य जो सदस्य या सदस्यों की ओर से कार्य करेंगे की संख्या तीन सौ से अधिक नहीं होगी और कुल मिलाकर कंपनी की अंश पूँजी मे दस प्रतिशत से अधिक हिस्सा नहीं होना चाहिए ।

"प्रस्ताव यह भी है कि कंपनी के मुख्य कार्यकारी कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ आवश्यक प्रपत्र दाखिल करने और इस तरह के सभी कार्यों और चीजों को करने के लिए गंभीर रूप से अधिकृत हैं जो इस संकल्प को लागू करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।"

श्रीमती पूजा कुमारी (फोलियो न.: 0006461) ने उपरोक्त प्रस्ताव कों अनुमोदित किया।

अध्यक्ष ने हाथों के प्रदर्शन पर मत देने का प्रस्ताव रखा और इसे सर्वसहमति से घोषित किया।

10. सभा में लेन-देन के लिए कोई अन्य व्यवसाय नहीं होने के कारण, सभा, अध्यक्ष के धन्यवाद से संपन्न हुई।

श्रीमती मीरा देवी

प्रवेश की तिथि :30.12.2020 **निदेशक एवं अध्यक्षा**

हस्ताक्षर करने की तिथि 30.12.2020 :

<u>व्याख्यात्मक कथन</u>

मद सं .2

वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट

कौशिकी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड					
राजस्व बजट (वित्तीय वर्ष 2021-22)					
क्र .सं.	विवरण	यू.ओ.एम.	वर्ष 2020-21 (बजट)	वर्ष 2020-21 (वास्तविक)	वर्ष 2021-22 (प्रस्तावित बजट)
(I)	दूध की खरीद मात्रा	**(के.जी.पी.डी.)**	30,766	17,534.07	61,823
(II)	दूध संचालन से राजस्व	(रु .लाख में)	4,929.66	2,525.40	9,861.96
(III)	निर्माता मूल्य	(रु .लाख में)	4,387.04	2,176.08	8,447.95
(IV)	सहयक मार्जिन	(रु .लाख में)	121.23	40.04	229.66
(V)	तार्किक लागत	(रु .लाख में)	381.47	307.14	679.88
(VI)	अन्य दूध खरीद लागत	(रु .लाख में)	463.63	332.16	395.40
(VII)	निश्चित लागत	(रु .लाख में)	316.08	174.78	250.00
(VIII)	**अनुदान सहायता से पहले दूध संचालन से लाभ) / हानि (**	**(रु .लाख में)**	**(739.80)**	(504.80)	(140.92)
(IX)	अनुदान सहायता – दुध संचालन	(रु .लाख में)	729.17	584.03	306.77
(X)	**अनुदान सहायता के बाद दूध संचालन से लाभ) / हानि(**	**(रु .लाख में)**	**(10.63)**	79.23	165.85
(XI)	पी.ई.एस .गतिविधियों के लिए राजस्व व्यय	(रु .लाख में)	187.17	40.60	123.75
(XII)	(कमी - (पी.ई.एस .संचालन	(रु .लाख में)	(187.17)	(40.60)	(123.75)
(XIII)	अनुदान समर्थन-संचालन	(रु .लाख में)	187.17	(40.60)	123.75
(XIV)	पी.ई.एस .संचालन से लाभ /)हानि(	(रु .लाख में)	-	-	-
(XV)	अन्य कमाई	(रु .लाख में)	12.30	11.87	18.00
(XVI)	**कर से पहले लाभ) / हानि(**	**(रु .लाख में)**	**1.67**	**91.10**	183.85

पूंजीगत व्यय बजट (वित्तीय वर्ष 2021-22) (संशोधित)					
क्र.सं.	विवरण	यू.ओ.एम.	वर्ष 2020-21 (बजट)	वर्ष 2020-21 (वास्तविक)	वर्ष 2021-22 (प्रस्तावित बजट)
(I)	एम.पी.पी .लगाने मे खर्च	(रु .लाख में)	19.70	7.46	46.94
(II)	कैन्स	(रु .लाख में)	89.89	51.26	73.11
(III)	बी.एम.सी.	(रु .लाख में)	109.07	38.27	74.79
(IV)	मुख्य कार्यालय की स्थापना	(रु .लाख में)	2.50	1.00	6.20
(V)	आई.सी.टी.	(रु .लाख में)	45.10	11.79	38.11
(VI)	डी.पी.एम.सी.यू.	(रु .लाख में)	137.05	39.92	287.76
(VII)	बी.एम.सी .सामान	(रु .लाख में)	-	-	-
(VIII)	ए.एम.सी.यू.	(रु .लाख में)	11.50	-	0.90
(IX)	बी.एम.सी .लगाने का खर्च	(रु .लाख में)	45.94	4.47	47.00
(X)	ई.टी.पी.	(रु .लाख में)	66.00	0.78	71.22
(XI)	क्लस्टर कार्यालय की स्थापना	(रु .लाख में)	14.00	-	-
(XII)	लप्टोप्स	(रु .लाख में)	0.61	0.42	
	पूंजीगत-दूध संचालन	(रु .लाख में)	**541.36**	**155.38**	**646.03**
(XII)	**पूंजीगत अनुदान सहायता - दूध संचालन**	(रु .लाख में)	**541.36**	**155.38**	**646.03**
	खुद के फंड से पूंजीगत	(रु .लाख में)	-	-	-

<u>मद सं .5</u>

कंपनी के मौजूदा सांविधिक लेखा परीक्षकों मेसर्स एसबिलिमोरिया एंड कंपनी .बी., चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, गुरुग्राम, (फर्म पंजीकरण संख्या 101496W), जिन्हें 19.12.2020 को आयोजित अंतिम एजीएम में एक वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम बैठक में सेवानिवृत्तहो रहें हैं ,ने आगामी वार्षिक आम बैठक में पुनर्नियुक्ति के लिए अपनी अनिच्छा की अभिव्यक्ति प्रस्तुत की की है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के निदेशक मंडल ने सेवानिवृत्त लेखा परीक्षकों के स्थान पर कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त करने के लिए मैसर्स एसएन धवन एंड कंपनी, एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, (फर्म पंजीकरण संख्या 000050N/Nके नाम की सिफारिश की है। इसके (500045 धवन एंड कंपनी .एन.संदर्भ में मेसर्स एस, एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ने कंपनी को अपना सहमति पत्र प्रस्तुत किया है और इस तरह की नियुक्ति के लिए उनकी पात्रता की पुष्टि भी की है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने मेसर्स एसधवन एंड कंपनी .एन., एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, (फर्म पंजीकरण संख्या 000050N/Nको कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है (500045, जो

सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। मेसर्स एसएन धवन एंड कंपनी, एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, (फर्म पंजीकरण संख्या 000050N/Nने कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में कार्य करने (500045 के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है, यदि नियुक्त किया जाता है, तो इस ५वीं वार्षिक आम बैठक के निष्कर्ष से १०वीं वार्षिक आम बैठक के समापन तक किया जाता है।

इस नोटिस के मद संख्या के संकल्प में कोई भी निदेशक और रिश्तेदार किसी भी तरह से वित्तीय या 5 अन्यथा संबंधित या रुचि नहीं रखते हैं।

कंपनी के किसी भी निदेशक का इस संकल्प से कोई सरोकार या दिलचस्पी नहीं है।

निदेशक मंडल सदस्यों के अनुमोदन के लिए संलग्न नोटिस के मद संख्या 5 में निर्धारित विशेष संकल्प की सिफारिश करता हैं।

<u>मद सं .6</u>

कंपनी अधिनियम, 2013 में उत्पादक कंपनी से संबंधित प्रावधानों को कंपनी) संशोधन (अधिनियम, 2020 के माध्यम से अध्याय XXI-A ('अध्याय') के सम्मिलन के साथ शामिल किया गया है। उक्त प्रावधान 11 फरवरी, 2021से लागू हैं। इसलिए, कंपनी अधिनियम, 1956के भाग IX-A के प्रावधान अब लागू नहीं हैं और इसे निरस्त किया जाता है एवं कंपनी अधिनियम, 2013के अध्याय XXI-A के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों के साथ प्रतिस्थापित किया गया।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कंपनी अधिनियम 1956से संबंधित सभी संदर्भों को जो कि अंतर्नियम के लेखों में दिया गया है, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013के संबंधित अनुभाग/प्रावधानों से बदला जाएगा। इसके अलावा, विशेष प्रस्ताव में विस्तृत प्रस्तावित परिवर्तनों की अनुशंसा की जाती है, क्यूंकि कंपनी के व्यवसाय संचालन एवं प्रबंधन में लचीलापन एवं आसानी प्रदान करने और किसी भी अनपेक्षित अस्पष्टता से बचने के लिए कुछ मौजूदा लेखों में परिवर्तन और विलोपन की आवश्यकता है।

इसके अलावा, सदस्यों सूचना दी जाती है कि, कंपनी अधिनियम, 2013की धारा-378 I((1की आवश्यकतानुसार, अंतर्नियम में कोई भी संशोधन कम से कम दो-तिहाई निर्वाचित निदेशकों या कम से कम उत्पादक कंपनी के एक तिहाई सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा और सदस्यों द्वारा कंपनी के अंशधारकों की एक आम बैठक में एक विशेष प्रस्ताव द्वारा अपनाया जाएगा। बोर्ड कंपनी के सदस्यों की स्वीकृति के लिए मद संख्या 6 की अनुशंसा करता है।

बहिर्नियम एवं अंतर्नियम की प्रति प्रस्तावित परिवर्तनों के साथ कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण हेतु सभी कार्य दिवसों में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच बैठक की तारीख तक उपलब्ध है।

कंपनी के कोई भी निदेशक/अधिकारियों अथवा उनके संबंधी का इस प्रस्ताव मे किसी भी प्रकार से कोई संबंध या हित नहीं है।

निदेशक मंडल सदस्यों की स्वीकृति के लिए संलग्न सूचना के मद संख्या 6 के प्रस्ताव को पारित करने की अनुशंसा करता है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 378ZA (4)(c) के अधीन निर्वाचन हेतु प्रत्याशियों के अर्हता का विवरण

कार्यसूची संख्या 3 & 4

नाम	व्यवसाय	योग्यता	अन्य किसी में निदेशक
श्रीमती रंजू कुमारी	पशुपालन	स्नातक	-
श्रीमती सीमा कुमारी	पशुपालन	स्नातक	-

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान: सहरसा
तिथि: 25.10.2021

ह./-
संदीप कुमार यादव
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
(डीआईएन: 08614881)

कौशिकी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

सहरसा बिहार

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए (₹)	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए (₹)
समता एवं दायित्व			
अंशधारकों का कोष			
(अ) अंश पूंजी	3	11,062,500	5,332,800
(ब) संचित एवं अधिशेष	4	12,514,340	5,461,316
आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि	34	1,838,300	1,968,200
आस्थगित अनुदान	5	120,208,352	106,129,480
गैर–चालू दायित्व			
(अ) दीर्घकालीन प्रावधान	6	3,503,076	1,742,292
(ब) अन्य दीर्घकालीन दायित्व	7	7,719,952	5,486,781
चालू दायित्व			
(अ)) व्यापारिक देनदारियां			
(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	8	502,562	3,570,810
(ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		20,694,471	15,517,632
(ब) अन्य चालू दायित्व	9	28,087,470	15,918,386
(स) अल्पकालीन प्रावधान	10	146,103	2,399,027
कुल योग		**206,277,126**	**163,526,725**
संपत्तियाँ			
गैर–चालू संपत्तियाँ			
(अ) संपत्ति, प्लांट और उपकरण			
(i) मूर्त संपत्तियाँ	11a	87,492,569	76,517,616
(ii) अमूर्त संपत्तियाँ	11b	1,089,665	1,392,299
(iii) प्रगति अधीन पूंजी	11c	24,961,568	24,931,594
(iv) विकास के तहत अमूर्त संपत्तियाँ	11c	6,590,450	5,287,971
(ब) आस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)	12	948,786	648,096
(स) दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम	13	326,092	218,923
चालू संपत्तियाँ			
(अ) स्टॉक	14	6,544,061	4,990,358
(ब) व्यापारिक लेनदारियाँ	15	13,585,153	10,010,601
(स) रोकड एवं रोकड तूल्य	16	2,601,205	11,125,247
(द) अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	17	62,137,577	30,404,019
कुल योग		**206,277,126**	**163,526,725**

हमारी संलग्र रिपोर्ट के संदर्भ में

वास्ते एस बी बिल्लिमोरिया एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या-101496W

ह-/.

जितेन्द्र अग्रवाल

साझेदार

(ICAI सदस्यता सं- 87104)

स्थान-नई दिल्ली

दिनांक 13 सेप्टेम्बर, 2021

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

ह-/.

(संदीप कुमार यादव)

निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

DIN: 08614881

ह-/.

(मीरा देवी)

निदेशक एवं अध्यक्षा

DIN:07904299

ह -/.

(प्रेमशंकर चौधरी)

कंपनी सचिव

ICSI सदस्यता सं- 48978

स्थान-सहरसा,

ह -/.

(शैलेन्द्रनाथ शुक्ला)

प्रबन्धक – खाता एवं वित्त

दिनांक 13 सेप्टेम्बर, 2021

कौशिकी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

सहरसा बिहार

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का अंकेक्षित लाभ-हानि विवरण

विवरण		नोट सं.	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए (₹)	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिऐ (₹)
I.	परिचालन से राजस्व	18	262,368,392	165,445,608
II.	अन्य राजस्व	19	536,064	2,117,149
III.	कुल राजस्व		**262,904,456**	**167,562,757**
IV.	व्ययः			
	व्यवसाय में लगे स्टॉक की खरीद	20	230,767,973	148,479,109
	व्यवसाय में लगे स्टॉक में परिवर्तन	21	370,917	(3,141,808)
	कर्मचारियों के लाभों संबंधित व्यय	22	5,373,953	1,576,389
	वित्तीय लागतें	23	-	136,455
	मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय	11	-	-
	अन्य व्यय	24	18,161,340	7,917,083
	कुल व्यय		**254,674,183**	**154,967,227**
V.	कर पूर्व लाभ/(हानि (III- IV)		8,230,273	12,595,530
VI.	कर व्ययः			
	(क) चालू कर		1,237,060	2,210,405
	(ख) आस्थगित कर व्यय/(आय)		(300690)	(648,096)
	(ग) गतवर्ष संबधित लघु प्रावधान		240,879	-
	शुद्ध कर व्यय अवधि		1,177,249	1,562,309
VII.	वर्ष का लाभ/(हानि) **कर के बाद**(V-VI)		**7,053,024**	**11,033,221**
VIII.	प्रति समता अंश आय	28		
	समता अंश 100 रूपये प्रति अंश			
	(1) मूल		93.37	621.03
	(2) डायल्यूटेड		92.82	582.27

हमारी संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में

वास्ते एस बी बिल्लिमोरिया एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या-101496W
ह-/.
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार
(ICAI सदस्यता सं- 87104)
स्थान-नई दिल्ली

दिनांक 13 सेप्टेम्बर, 2021

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

ह-/.
(संदीप कुमार यादव)
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
DIN: 08614881

ह-/.
(मीरा देवी)
निदेशक एवं अध्यक्षा
DIN:07904299

ह -/.
(प्रेमशंकर चौधरी)
कंपनी सचिव
ICSI सदस्यता सं- 48978
स्थान-सहरसा,

ह -/.
(शैलेन्द्रनाथ शुक्ला)
प्रबन्धक – खाता एवं वित्त

दिनांक13 सेप्टेम्बर, 2021

कौशिकी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
सहरसा बिहार
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का रोकड़ प्रवाह विवरण

	विवरण		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए (₹)
अ)	प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
	लाभ–हानि विवरण के अनुसार कर से पूर्व शुद्ध लाभ		8,230,273		12,595,530
	समायोजन के लिए :				
	प्राप्त ब्याज		(56443)		-
	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		-		510,316
	कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान		1,829,890		1,381,276
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व व्यावसायिक लाभ		10,003,720		14,487,121
	कार्यशील पूंजी के लिए समायोजन:				
	स्टॉक में वृद्धि / (कमी)		(1,553,703)		(4,716,059)
	यावसायिक प्राप्यों में वृद्धि / (कमी)		(3,574,551)		(8,341,373)
	दीर्घकालीन ऋणों एवं अग्रिमों में वृद्धि / (कमी)		(107,169)		(53,148)
	अल्पकालीन ऋणों एवं अग्रिमों में वृद्धि / (कमी)		(31,733,557)		(7,874,556)
	व्यावसायिक देयताओं में वृद्धि / (कमी)		2,108,591		14,104,646
	अन्य दीर्घकालीन दायित्वों में वृद्धि / (कमी)		2,233,171		4,286,930
	अन्य चालू दायित्वों में वृद्धि / (कमी)		17,539		(14,417)
	(प्रयुक्त) परिचालन गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह		**(22,605,959)**		**11,879,144**
	शुद्ध आय कर भुगतान		(3725870)		(24,830)
	प्रयुक्त / परिचालन गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह (अ)		**(26331829)**		**11,854,314**
ब)	विनियोगात्मक गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
	प्राप्त ब्याज		56,443		-
	संपत्ति संयंत्र और उपकरण के लिए भुगतान (पूंजीगत अनुदान का शुद्ध)		12,151,545		(9,258,862)
	विनियोगात्मक गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह (ब)		**12,207,988**		**(9,258,862)**
स)	वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
	समता अंश जारी करने से प्राप्तियां		3,761,500		4,455,200
	अंश आवेदन राशि से प्राप्तियां		1,838,300		1,968,200
	प्रयुक्त वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह (स)		**5,599,800**		**6,423,400**
	रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य में शुद्ध वृद्धि / कमी (अ +ब़ +स)		**(8524041)**		**9,018,852**
	रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य का आरम्भिक शेष		**11,125,246**		**1,969,938**
	रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य का अंतिम शेष		**2,601,205**		**10,988,790**
	रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य में सम्मिलित है				
	बैंक शेष				
	–चालू खाते		**2,601,205**		**11,125,246**
	रोकड़ प्रवाह विवरण के अनुसार रोकड एवं रोकड तुल्य		**2,601,205**		11,125,246
	आर्थिक चिट्ठा के अनुसार रोकड एवं रोकड तुल्य (नोट्स 16)		**2,601,205**		**11,125,246**

हमारी संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में

वास्ते एस बी बिल्लिमोरिया एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या-101496W
ह-/.
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार
(ICAI सदस्यता सं- 87104)
स्थान-नई दिल्ली
दिनांक 13 सेप्टेम्बर, 2021

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

ह-/.
(संदीप कुमार यादव)
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
DIN: 08614881

ह-/.
(मीरा देवी)
निदेशक एवं अध्यक्षा
DIN:07904299

ह -/.
(प्रेमशंकर चौधरी)
कंपनी सचिव
ICSI सदस्यता सं- 48978

ह -/.
(शैलेन्द्रनाथ शुक्ला)
प्रबन्धक – खाता एवं वित्त

स्थान-सहरसा,
दिनांक13 सेप्टेम्बर, 2021

कौशिकी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(CIN: U01100BR2017PTC035807)

पंजीकृत कार्यालय : वार्ड सं 31, हटिया गाछी, एन एच- 107,सहरसा-852201

दूरभाष:- 08252911011, ईमेल–: enquiry@kaushikeemilk.com, **वेबसाइट:** www.kaushikeemilk.com

उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip)

फोलियो संख्या: ....

सदस्य कोड:

कौशिकी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की, शुक्रवार दिनाक,26 नवंबर, 2021 को प्रातः 11:30 बजे ,प्रतीक्षा गार्डेन,वार्ड नंबर-31, हटिया गाछी , एन एच 107, सहरसा- 852201, बिहार पर होने वाली पाँचवीं वार्षिक आम सभा में, मैं अपनी उपस्थिति दर्ज करती हूँ ।

शेयरधारक का नाम : ....

प्रोक्सी का नाम : ....(प्रोक्सी द्वारा बैठक में उपस्थिति की स्थिति में)

शेयरधारक/प्रॉक्सी के हस्ताक्षर *

*जो लागू न हो उसे काट दें

कौशिकी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(CIN: U01100BR2017PTC035807)
पंजीकृत कार्यालय : वार्ड सं 31, हटिया गाछी, एन एच- 107,सहरसा-852201
दूरभाष:- 08252911011, ईमेल–: enquiry@kaushikeemilk.com, **वेबसाइट:** www.kaushikeemilk.com

प्रतिनिधि फॉर्म (Proxy Form)

फोलियो संख्या ....

सदस्य कोड:

मैं..निवासी .... कौशिकी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, की सदयस्ता, एतदद्वारा श्रीमती .... फोलियो संख्या...................निवासी...........................अथवा उनकी अनुपस्थिति में श्रीमती .... फोलियो संख्या.............निवासी .... को कंपनी की दिनाक,26 नवंबर, 2021 को प्रातः 11:30 बजे , प्रतीक्षा गार्डेन,वार्ड नंबर-31, हटिया गाछी , एन एच 107, सहरसा- 852201, बिहार पर होने वाली पाँचवीं वार्षिक आम सभा में मेरी तरफ से वोट देने के लिए प्रतिनिधि (Proxy) नियुक्त करती हूँ |

₹1 **का राजस्व**
टिकट लगाएँ

वर्ष 2021 नवंबर माह को हस्ताक्षरित ....तिथि ....

हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

नोट: प्रोक्सी फॉर्म मीटिंग के कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय तक पंहुचना आवश्यक है | प्रोक्सी का सदस्य होना आवश्यक है|

कौशिकी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
(CIN: U01100BR2017PTC035807)
पंजीकृत कार्यालय : वार्ड सं 31, हटिया गाछी, एन एच- 107,सहरसा-852201
दूरभाष:- 08252911011, ईमेल–: enquiry@kaushikeemilk.com, **वेबसाइट**: www.kaushikeemilk.com

सूचना अभिस्वीकृत (Notice Acknowledgement)

फोलियो संख्या:

मैं____निवासी_____________________ कौशिकी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की सदस्या हूँ। मैंने कंपनी द्वारा भेजी गई पाँचवीं वार्षिक आम सभा की सूचना सभी अनुलग्नकों के साथ प्राप्त कर ली है।

सदस्या के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

दिनांक-: ________________

स्थान-: ________________